सतर्कता ई-संदेश

Satarktka e-Sandesh

सत्यमेव जयते

सतर्कता संगठन

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

अंक-22, अक्टूबर-2020

एकता की ब्रह्ममूर्ति

सरदार वल्लभभाई पटेल

जिनकी जयंती पर सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है

शत-शत नमन

(31st October 1875 – 15th December 1950)

नीरज अग्रवाल
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
Neeraj Agrawal
Sr. Dy. General Manager

पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : +91-06224-272494 (O)
Fax: 06224-274133
E-mail: sdgm@ecr.railnet.gov.in

प्राक्कथन

सतर्कता एक प्रबंधकीय कार्य है। सभी कर्मी अपने दिन–प्रतिदिन के कार्यों में ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करें।

सतर्कता संगठन इस प्रयास में सहायता प्रदान करती है। सतर्कता संगठन का एक प्रमुख कार्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है ताकि कार्य के दौरान उनसे गलतियों की संभावना न हो। इसके अलावा, सतर्कता अनियमितताओं का पता लगाती है और सुधार हेतु सुझाव भी देती है।

मैं आशा करता हूँ कि यह सतर्कता ई–संदेश सभी रेलकर्मियों के लिए उपयोगी साबित होगी। भ्रष्टाचार निवारण एवं सतर्कता चेतना को बढ़ाने हेतु किसी भी सुझाव का स्वागत हैं।

(नीरज अग्रवाल)
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

नीरज अग्रवाल
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
Neeraj Agrawal
Sr. Dy. General Manager

पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : +91-06224-272494 (O)
Fax: 06224-274133
E-mail: sdgm@ecr.railnet.gov.in

FOREWORD

Vigilance is a managerial function. All officials should ensure integrity, transparency and fairness in their day to day working.

Vigilance organization assists in this endeavour. One of the main functions of the vigilance organization is to educate employees to avoid pitfalls in their working. Moreover, vigilance also detects the irregularities and suggests improvements

I hope this Satarkta e-Sandesh will be useful to all railwaymen. Any suggestion for prevention of corruption and inculcating vigilance consciousness is welcome.

(Neeraj Agrawal)
Sr. Dy. General Manager

एल. सी. त्रिवेदी
महाप्रबंधक
L. C. Trivedi
General Manager

पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-274728
Fax - 271513, 274738
E-mail : gm@ecr.railnet.gov.in

संदेश

मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि पूर्व मध्य रेल का सतर्कता संगठन, **सतर्कता ई–संदेश** प्रकाशित कर रहा है जिसमें दिन–प्रतिदिन कार्य से संबंधित उपयोगी जानकारी समाहित है।

मैं आशा करता हूँ कि यह बुलेटिन रेलकर्मियों को उनके कर्तव्यों को ईमानदारीपूर्वक एवं निडर होकर निर्वाहन करने के प्रति उन्हें और अधिक सचेत करने में उपयोगी एवं फलदायक सिद्ध होगा।

मैं सतर्कता संगठन को रेलकर्मियों के बीच सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी का प्रचार–प्रसार करने के सार्थक प्रयास हेतु बधाई देता हूँ।

(एल. सी. त्रिवेदी)
महाप्रबंधक

एल. सी. त्रिवेदी
महाप्रबंधक
L. C. Trivedi
General Manager

पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-274728
Fax - 271513, 274738
E-mail : gm@ecr.railnet.gov.in

MASSAGE

It gives me great pleasure to know that the vigilance organization of East Central Railway is bringing out its issue of **Satarkta e-Sandesh** which contains useful information for day to day working.

I hope this bulletin will be useful and fruitful to promote consciousness amongst railwaymen to enable them to perform their duty honestly and fearlessly.

I congratulate vigilance organization for making purposeful efforts in spreading the message of integrity, honesty and sincerity amongst the railwaymen.

(L. C. Trivedi)
General Manager

Ramesh Kumar Jha
Principal Exec. Director(Vig.)
&
Chief Vigilance Officer

भारत सरकार
रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड)
रेल भवन, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
RAIL BHAVAN, NEW DELHI-110001

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

संदेश

केन्द्रीय सतर्कता आयोग प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करता है ताकि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की महत्ता पर जोर दिया जा सके। आयोग द्वारा इस वर्ष चुनी गई थीम ''सतर्क भारत, समृद्ध भारत(विजिलेंट इंडिया, प्रॉस्पेरस इंडिया)'' अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे देश के महत्वपूर्ण कार्यों को नुकसान पहुँचा रहा है। रेल मंत्रालय का सतर्कता संगठन शासन में सुधार लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

इस तरह के आयोजनों से भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम के बारे में जागरूकता विकसित करने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के प्रति लोगों को शिक्षित करने में मदद मिलती है। जन–जागरूकता आयोजन के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आर्थिक उपायों को अपनाने के साथ–साथ कोविद–19 रोकथाम के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

सभी हितधारकों की सक्रिय सहायता और भागीदारी के साथ सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को खत्म करने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार निवारण और राष्ट्रनिर्माण में जनता की भागीदारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भ्रष्टाचार निरोधी उपाय और सतर्क भारत की आवश्यकता के प्रसार पर बल देने जैसी गतिविविधियाँ भारत को समृद्ध बनाएगी।

इस अवसर पर सतर्कता बुलेटिन के विशेष ई–संस्करण का प्रकाशन वास्तव में सभी रेलकर्मियों के बीच जागरूकता फैलाने में मदद करेगा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में एक दूरगामी प्रयास होगा।

19/10/20
(Ramesh Kumar Jha)

Ramesh Kumar Jha
Principal Exec. Director(Vig.)
&
Chief Vigilance Officer

भारत सरकार
रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड)
रेल भवन, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
RAIL BHAVAN, NEW DELHI-110001

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Message

The Central Vigilance Commission observes the Vigilance Awareness Week each year to emphasize the significance of probity and integrity in public life. The theme chosen this year by Commission **"Vigilant India, Prosperous India (Satark Bharat, Samriddh Bharat)"** is very relevant as corruption crumbles the vital functions of the country.

Vigilance Organisation of Ministry of Railways endeavours to promote integrity, transparency and accountability in public life with the ultimate objective to bring about improvements in governance.

The observance of such events helps in developing awareness about the consequences of corruption and educating the public to create a corruption free society. While observance of mass awareness, Covid-19 prevention guidelines besides adopting economy measures issued by Ministry of Finance should be strictly adhered.

We will make every effort to promote integrity and eradicate corruption with the active support and participation of all stakeholders. I do believe that public participation plays a very crucial role in combating corruption and in nation building. Outreach activities for dissemination of anti-corruption measures and stressing the necessity of Vigilant India would lead to Prosperous India.

Publication of special E-edition of Vigilance Bulletin on this occasion would really help in spreading awareness amongst all Railwaymen and go a long way in making corruption-free India.

19/10/20
(Ramesh Kumar Jha)

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 के अवसर पर मंडल सभागार, सोनपुर में दिनांक 28.10.19 को आयोजित कार्यशाला।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 के अवसर पर मंडल सभागार, दानापुर में दिनांक 01.11.19 को आयोजित कार्यशाला।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 के अवसर पर मुख्यालय, हाजीपुर स्थित वैशाली प्रेक्षागृह में दिनांक 31.10.19 को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 के अवसर पर दिनांक 31.10.19 को मुख्यालय, हाजीपुर में दीप प्रज्ज्वलित व पुष्पांजलि कर सेमिनार का शुभारंभ करते महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक महोदय।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 के अवसर पर मुख्यालय, हाजीपुर में महाप्रबंधक महोदय द्वारा सतर्कता संदेश के 21वें अंक का लोकार्पण।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 के दौरान दिनांक 31.10.19 को मुख्यालय प्रांगण, हाजीपुर में सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित RUN for INTEGRITY

स्वत्व त्यजक

यह बुलेटिन केवल दिशा-निर्देश प्रदान करने के प्रयोजन हेतु एवं कार्यालय उपयोग के लिए है। इसे किसी भी कार्यालय संदर्भ में प्राधिकार के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही इसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोई भी संदर्भ, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, हमेशा विषय के मूल आदेशों से संदर्भित किया जाना चाहिए।

Disclaimer

This bulletin is purely for the purpose of providing guidelines and is intended for offcial use only. It should not be quoted as authority in any official reference or produced in a Court. A reference, wherever the original orders on the subjects.

विषय सूची

क्रम सं.		पृष्ठ सं.
1.	प्रणाली सुधार पत्र	1–32
2.	केस अध्ययन (यातायात)	33–36
3.	केस अध्ययन (लेखा एवं कार्मिक)	37–42
4.	केस अध्ययन (अभियंत्रण)	43–50
5.	केस अध्ययन (भंडार, चिकित्सा एवं सुरक्षा)	51–56
6.	केस अध्ययन (संकेत एवं दूरसंचार, विद्युत तथा यांत्रिक)	57–60
7.	लेखः सतर्क भारत, समृद्ध भारत शैलेश कुमार, गो. आशुलिपिक/सतर्कता	61
8.	कविताः सतर्क–समृद्ध बनने की राह महादेव कुमार मंडल, मुसतानि/भंडार	62

एस.आई.एल.–25 / 2019

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर / विज / सिस्टम इंप्रूवमेन्ट / 50 दिनांक 16.09.2019

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर

विषय - : चयन में परिहार्य विलंब।

अधिसूचना के उपरांत चयन प्रकिया में विलंब के मामले में एक परिवाद के सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया था कि 90 से भी कम अभ्यर्थियों के आवेदन परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु नियत अवधि पर प्राप्त हुए थे । फिर भी तीन महीना से भी अधिक अभ्यर्थियों के पात्रता निर्णय करने में लग गये। स्पष्ट निर्देश के उपरांत भी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था समय से नहीं किया गया तथा तीन / चार सप्ताह का प्रशिक्षण संपादन करने में सात से आठ महीना की अवधि लग गया।

अंततः रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पुर्नसंरचना आदेश के आलोक में चयन प्रकिया निरस्त हो गई। अगर यह चयन प्रकिया समय से निष्पादित हो जाती तो पुर्नसंरचना प्रावधान का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता।

उक्त के आलोक में सर्वसंबंधित को यह निर्देश दिया जाए कि चयन प्रकिया के केलेण्डर का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए जिससे कि चयन प्रकिया में होने वाली विलंब से बचा जा सके।

(ए0 के0 पाठक)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (लेखा)
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

SIL- 25/2019

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
G M (Vigilance)
Hajipur

No ECR/Vig/System Improvement/50 Dated: 16.09.2019

Principal Chief Personnel Officer,
East Central Railway,
Hajipur

Sub:- Avoidable delay in selections.

During a vigilance investigation of a complaint on aspect of delay etc. in a selection after the notification, it was found that less than ninety employees have submitted their applications for appearing in the examination till due date. However, a period of more than three months was elapsed in adjudging the eligibility of candidates. Further, in spite of clear instruction for arranging pre-promotional training for SC/ST candidates, it could not be arranged in time and it took almost seven to eight months to complete training course of three/four weeks duration.

Finally the selection process was cancelled owing to restructuring orders issued by Railway Board. Had this selection been finalized timely, it would not have attracted cadre restructuring provisions.

In view of the above all concerned may be instructed to follow the selection calendar scrupulously to avoid such delays in selections.

(A. K. Pathak)
Dy. Chief Vigilance Officer (A)
For General Manager/Vigilance

एस.आई.एल.–26/2019

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इंप्रूवमेन्ट/50 दिनांक 05.11.2019

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/पूमरे/हाजीपुर।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /बेला।

विषय : सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के अनुबंध समझौते हेतु निविदा शर्तों का मसौदा तैयार करने में प्रणाली सुधार।

एक इकाई में एक निवारक जाँच के दौरान यह पाया गया कि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती व अनुबंध की मौजूदा शर्तें सुरक्षा कर्मियों की तैनाती एवं ठेकेदार के बिलों के भुगतान में विसंगतियों को रोकने में कारगर नहीं है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड/सतर्कता के निर्देशों के आलोक में उपरोक्त कार्यों के लिए भविष्य में जारी किए जाने वाले सभी निविदाओं में निम्नलिखित शर्तों को निवारक उपायों के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया जाता है:–

1 **निरीक्षण:–**

(क) संवेदक द्वारा निविदा के तहत तैनात निजी सुरक्षा कर्मी की दैनिक उपस्थिति पंजिका नाम एवं पाली दर्शाते हुए मेंटेन की जाएगी। उक्त पंजिका में प्रत्येक सुरक्षा कर्मी अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु अपना हस्ताक्षर करेंगे। सिर्फ 'P' अंकित उपस्थिति पंजिका मान्य नहीं होगा।

(ख) संबंधित कार्य प्रभारी/निरीक्षक प्रभारी द्वारा दैनिक रुप से तीनों पाली में उपस्थिति पंजिका एवं भौतिक उपस्थिति के आधार पर निविदा के तहत तैनात निजी सुरक्षा कर्मी की उपस्थिति की जाँच जाएगी। सक्षम पदाधिकारियों द्वारा भी इसकी औचक जाँच की जाए। चेकिंग विवरण पर संवेदक या उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा जाँच के साक्षी के रूप में अपना हस्ताक्षर करेंगें।

(ग) कार्य प्रभारी/निरीक्षण प्रभारी द्वारा माह के अंत में दैनिक चेकिंग के आधार पर परफॉरमेंस सार्टिफिकेट कार्य के संतोषप्रद/असंतोषप्रद टिप्पणी के साथ निर्गत किया जाएगा एवं इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के किसी भी असामान्य कृत्यों जैसे रेल सम्पत्ति की चोरी या अन्य अवांछनीय कृत्य को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) संवेदक अपने निजी सुरक्षा कर्मी के किसी भी अनुशासनहीन, अशोभनीय हरकत, नशे में पाए जाने या नियम विरुद्ध कार्य में लिप्त होने की स्थिति में सीधे तौर पर जबाबदेह होगा। ऐसी स्थिति में जुर्माना या निविदा को निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

(ड.) तैनात निजी सुरक्षा कर्मी के साथ किसी तरह की दुर्घटना या चोट लगने की स्थिति में रेल प्रशासन जबाबदेह नहीं होगा।

(च) संवेदक द्वारा शस्त्र के साथ तैनात निजी सुरक्षा कर्मी के शस्त्र का निविदा अवधि तक वैध लाइसेंस होना सुनिश्चित किया जाएगा।

(छ) संवेदक मजदूर (रेगुलेशन और एबोलीसन) अधिनियम 1970 एवं अनुबंध (रेगुलेशन और एबोलीसन) केन्द्रीय नियम 1971 एवं इसके संशोधनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

SIL- 26/2019

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the
G M (Vigilance)
Hajipur

No ECR/Vig/System Improvement/50 Dated: 05.11.2019

PCSC/HJP & CAO/Bela

Sub- System improvement in drafting tender conditions for awarding contract agreement for deployment of security personnel.

It has been noted during a preventive check in a unit that existing conditions of the contract for deployment of security personnel have avenues to commit discrepancies in deployment of security personnel as well as payment of contractor's bills. Hence, as per the directives of Railway Board/Vigilance, following conditions as preventive measures are suggested for incorporation in all future tenders for such works:-

I: Inspection:-

(a) Contractor will maintain Daily Attendance Register showing name of security personnel and the shift allotted to them and each security personnel will put his signature in the register in the token of his presence for the work that day. Mentioning only 'P' in the register is not permissible.
(b) Deployment of security personnel against the contract agreement vis-a-vis attendance register will be checked daily by concerned work supervisor/ inspector. Surprise check will also be conducted by the authorities competent for that. Contractor or their authorized representative witnessing such check will also sign on the check report.
(c) At the end of the month, work supervisor/inspector will issue performance certificate on the basis of check reports with remark whether the work has been executed satisfactorily or otherwise. However, any unusual act the security personnel like theft of railway property or any other unwelcome act by them will also be kept in mind while preparing while preparing performance certificate.
(d) For any kind of indiscipline/unwelcome or unlawful acts committed by the contractor or their security personnel or are found to be drunk in duty, contractor will solely be responsible for that. Such act may cause imposition of penalty as per the prescribed rates or may cause termination of the work.
(e) Railway administration will not be responsible for hurt of any kind caused to the security personnel deployed under the provisions of the contract.
(f) Contractor will ensure availability of valid arms license of the arms provided to the security personnel by them.
(g) Contractor will abide by the laws under Labour (Regulation & Abolition) Act 1970 & Contract (Regulation & Abolition) Central Rule 1971 or their amendments.

2. जुर्माना:

(क) निविदा में वर्णित संख्या से कम निजी सुरक्षा कर्मी की तैनाती या उनके अनुपस्थित पाए जाने पर ठेकेदार से यथा निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा। तैनाती में निर्धारित संख्या से कम ऐसी स्थिति में निविदा निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।।

(ख) यदि सुरक्षाकर्मी नशे में/सोते हुए पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यथा निर्धारित दरों के अनुसार जुर्माना ठेकेदार से वसूला जाएगा। ऐसे सुरक्षा कर्मियों को अनुबंध के प्रावधानों के तहत आगे तैनाती के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

(ग) सुरक्षाकर्मियों की लापरवाही के कारण हुई रेल संपत्ति की किसी भी तरह की क्षति–हानि या चोरी होने की स्थिति में जुर्माना ठेकेदार से वसूला जाएगा।

3. भुगतान:–

(क) प्रत्येक माह के अंत में ठेकेदार मासिक बिल एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जिसका परीक्षण दैनिक चेकिंग, औचक निरीक्षण विवरण, कम संख्या में निजी सुरक्षा कर्मी की तैनाती, अनुपस्थित पाए गए सुरक्षा कर्मी की संख्या या उनके द्वारा किसी असामान्य/अवांछनीय घटना इत्यादि के आधार पर समर्पित की गई परफॉरमेंस सार्टिफिकेट के आधार पर किए जाने के बाद बिल भुगतान प्रक्रिया हेतु लेखा विभाग को अग्रसारित की जाएगी।

(ख) ठेकेदार को अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

4. अवधि विस्तार प्रावधान:–

(क) निविदा अवधि की समाप्ति पर यदि नई निविदा प्रक्रिया में विलंब की संभावना हो तो सुरक्षा कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए निविदा की अवधि विस्तार प्रदान की जा सकेगी बशर्ते निविदा निरस्त करना वांछनीय न हो और ठेकेदार का कार्य अब तक संतोषजनक रहा हो, किसी भी स्थिति में अवधि विस्तार 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा निविदा दर एवं शर्त पूर्ववर्ती निविदा की तरह ही रहेगी।

(ख) अवधि विस्तार के लिए निविदाकर्ता की सहमति और सक्षम कार्यालयी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5. श्रमिक की संख्या कम/अधिक का प्रावधान:–

निविदा में सुरक्षा कर्मी की संख्या की आवश्यकतानुसार कम/अधिक की जा सकती है। इसके लिए एक विस्तृत समीक्षा रपट सक्षम पदाधिकारी को समर्पित किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त प्रणाली सुधार को लागू करने का सुझाव दिया जाता है। जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जा सकती है।

(सन्नी सिन्हा)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)

II. Penalty:-

(a) For deployment of less security personnel or in the event of their absence from the duty, penalty as per the prescribed rates will be recovered from the contractor. Deployment below the prescribed number may cause termination of the work.
(b) If security personnel are found to be drunk/sleeping in duty, penalty as per the prescribed rates will be recovered from the contractor. Such security personnel may not be considered for further deployment under the provisions of the contract.
(c) For any kind of damage, loss or theft of railway property caused due to negligence of the security personnel, penalty as per the prescribed rates will be recovered from the contractor.

III. Payment:-

(a) At the end of the month, contractor will submit their bill for the work performed during the month along with the relevant documents. The bill will be scrutinized based on the performance report prepared on the basis of daily and/or surprise check reports, instances of deployment of less security personnel and/or their absence from the duties or any unwelcome or unusual act committed by them. If the bill is found correct in all respect, the same will be forwarded for payment.
(b) No advance payment will be made to the contractor.

IV. Time extension:-

(a) The railway administration, in the event of expiry of the validity period of contract and there is a delay in finalization of new contract, will have option to extend the validity period of the contract suitably under the usual terms if the same is considered unavoidable and the work performed by the contractor against the existing contract is considered satisfactory. However, such extension shall not exceed in any case normally by 25%.
(b) For time extension, consent of contractor and approval of competent authority shall be taken.

V. Deployment of more or less security personnel: -

The Railway administration will have option to enhance or reduce the number of security personnel to be deployed under the provisions of the contract. For this purpose, a detailed review report must be submitted to the competent authority.

The above system improvement suggestions may be implemented. A copy of instructions issued may be sent to this office for information and record.

(Sunny Sinha)
Dy. Chief Vigilance Officer (S)
For General Manager (Vig)

एस.आई.एल.–01 / 2020

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर / विज / सिस्टम इंप्रूवमेन्ट / 50 दिनांक 21.01.2020

पीसीईई, पीसीई, पीसीएसटीई, पीसीएमई,
पीएफए, पीसीओएम, पीसीसीएम,
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर,
सीएओ / कॉन / दक्षिण एवं उत्तर,
पूमरे / महेन्द्रघाट, पटना,
सीएओ / आरडब्ल्यू / बेला।

विषयः– जी.सी.सी. के अनुसार मूल्य परिवर्तन खंड के नकारात्मक पक्ष के अनुपालन के संबंध में प्रणाली सुधार।

एक कार्य निविदा मामले की जाँच के दौरान यह देखा गया है कि जी.सी.सी. के अनुसार मूल्य भिन्नता लागू नहीं की जा रही है। जिसके कारण ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान किया गया है। इस तथ्य के बारे में जागरूकता के बावजूद भी जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद वस्तुओं की सामान्य कीमत कम हो गई। जी.सी.सी. के अनुसार राशि की कटौती उन निविदाओं के लिए रेलवे इकाई द्वारा नहीं की गई है, जिनका भुगतान जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद किया गया है। यह पीवीसी के संबंध में अनुबंध की सामान्य स्थिति का निरीक्षण करने में एक व्यवस्थित विफलता है।

इसलिए, उन निविदाओं के लिए पीवीसी क्लॉज लागू करने और जी.सी.सी. के अनुसार वसूली के लिए उपयुक्त दिशा–निर्देश जारी करने की सलाह दी जाती है। जिसमें जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद बिल का भुगतान किया गया है और पूरी र्कारवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के अन्दर इस कार्यालय को भेजी जा सकती है।

इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

(नीरज अग्रवाल)
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

SIL- 01/2020

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the,
General Manager (vig)
Hajipur

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 21.01.2020

PCEE, PCE, PCSTE, PCME, PFA, PCOM, PCCM,
E.C. Railway, Hajipur.
CAO/Con/South & North,
E.C. Railway, Mahendrughat, Patna,
CAO/RWP/Bela.

Sub:- System improvement regarding implementation of Price variation clause on negative side as per GCC.

During investigation of a works tender case it is observed that Price variation clause as per GCC is not being implemented. It has resulted into excess payment to the contractors. Despite awareness of the fact that general price of commodities have reduced after implementation of GST, deduction of amount as per GCC has not been done by railway unit for those tenders whose payment has been done after implementation of GST. It is a systematic failure in observing general condition of contract regarding PVC.

It is, therefore advised to issue suitable guidelines for implementation of PVC clause and recovery as per GCC for those tenders in which bill has been paid after implementation of GST and complete action taken report may be sent to this office within 15 days.

This may be treated as urgent.

(Neeraj Agrawal)
Sr. Dy. General Manager

एस.आई.एल.–02/2020

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इंप्रूवमेन्ट/50 दिनांक 23.01.2020

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषयः संविदागत श्रमिक एवं विभागीय कर्मचारी द्वारा साईट पर एक साथ कार्य किए जाने के संबंध में प्रणाली–सुधार।

एक मामले में जाँच के दौरान, यह देखा गया है कि संविदागत कार्य स्थल पर/के समीप यातायात ब्लॉकों में विभागीय निर्माण कार्य सही योजना बनाकर निष्पादित नहीं किये जा रहे हैं। एक कार्य स्थल पर यह देखा गया कि विभागीय कर्मचारी द्वारा स्लीपर सं.3 (मोटर स्लीपर) के बदलने का कार्य किया जा रहा था लेकिन वे ब्लॉक अवधि के दौरान सफलतापूर्वक कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। इसलिए ब्लॉक अवधि में कार्य को पूरा करने के लिए कुछ संविदागत श्रमिकों को स्लीपर बदलने के कार्य हेतु लगाया गया तथा ब्लॉक के बर्स्टिंग से बचने के लिए विभागीय कर्मचारी को ग्लूइड रेल के बदलने के संविदा कार्य में लगाया गया जो उचित नहीं है।

उपर्युक्त को देखते हुए यह अनुरोध है कि उपर्युक्त के संबंध में एक प्रणाली सुधार पत्र जारी करने की कृपा करें जिससे संविदागत एवं विभागीय कर्मचारी का घाल–मेल न हो।

जारी किये गये निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सौरभ मिश्र)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

SIL- 02/2020

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the,
General Manager (vig)
Hajipur

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 23.01.2020

PCE,
E.C. Railway,
Hajipur.

Sub:- System improvement regarding simultaneous working of contractual labour and departmental staff at site .

During investigation of a case, it is observed that at/near contractual work site, departmental works in traffic blocks are not being executed with proper planning. At one worksite, it was observed that changing of sleeper no.-03 (Motor sleeper) by departmental staff was being done but they were not able or execute/perform the work successfully during block period. So, in order to complete the work within block period some contactor Labour were used for sleeper changing and departmental staff was used for contractual work of glued rail changing to avoid bursting of block, which is not proper.

In view of the above, it is requested to kindly issue a system improvement letter regarding above, to avoid mixing of contractual & departmental staff.

A copy of instruction issued may be sent to this office for information and record.

(Saurabh Misra)
Dy. CVO (Engg)
For General Manager (Vig)

एस.आई.एल.–03 / 2020

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर / विज / सिस्टम इंप्रूवमेन्ट / 50 दिनांक 07.02.2020

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूमरे / हाजीपुर।

विषय : संरक्षा श्रेणी के अंतर्गत कार्यरत रेलवे कर्मचारियों की आवधिक चिकित्सा जाँच।

सतर्कता मामले की जाँच के दौरान यह पाया गया कि आईआरएमएम पैरा 2000 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत कार्यरत रेलवे कर्मचारी के पीएमई का संचालन नहीं किया जा रहा है। चिकित्सा श्रेणी ए–3 के तहत एक कर्मचारी के एक मामले में यह देखा गया कि उसकी नियुक्ति के 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी पीएमई आयोजित नहीं की गई जो आईआरएमएम 2000 के पैरा 514 में निर्दिष्ट निर्देशों का उल्लंघन है।

आईआरएमएम 2000 के पैरा 514 के अनुसार, सुरक्षा श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को उनके पूरे सेवा काल तक समय–समय पर निम्न अंतराल पर जाँच की जानी चाहिए:–

(अ) श्रेणी ए–1, ए–2 और ए–3

(1) नियुक्ति की तिथि से 45 वर्ष की आयु तक प्रत्येक चार वर्ष की समाप्ति पर, 55 वर्ष की आयु तक प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर तदोपरांत सेवा के समापन तक प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर।

(2) यदि चिकित्सा श्रेणी ए के किसी कर्मचारी की 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने से दो वर्ष के भीतर किसी भी समय चिकित्सकीय जाँच की गई है तो उसकी अगली चिकित्सा परीक्षा अंतिम चिकित्सा परीक्षा की तारीख से दो वर्ष और उसके बाद प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर 55 वर्ष तक और उसके बाद सेवानिवृत्ति तक वार्षिक रूप से आयोजित की जानी चाहिए। यदि इस तरह के कर्मचारी की 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने से दो वर्ष पहले किसी भी समय चिकित्सकीय जाँच की गई है तो उसकी अगली चिकित्सा परीक्षा उस तारीख को आयोजित की जानी चाहिए जब वह 45 की आयु प्राप्त करता है और उसके बाद प्रत्यक दो वर्ष की समाप्ति पर चिकित्सा जाँच होनी चाहिए।

(ब) श्रेणी बी–1 और बी–2 के कर्मचारी की 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि समाप्ति पर।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आईआरएमएम के पैरा 515 के अनुसार रेलवे कर्मचारी को मेडिकल जाँच के लिए भेजने की जिम्मेदारी उसके संबंधित विभाग या शाखा की है।

उपरोक्त शिडुल के अनुसार, आईआरएमएम 2000 के पैरा 514 में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुपालन, निर्धारित पीएमई का संचालन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। उपरोक्त प्रणाली सुधारात्मक सुझाव लागू की जा सकती है।

कृत कार्यवाही की सूचना जल्द से जल्द इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

(सन्नी सिन्हा)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)

SIL- 03/2020

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the,
General Manager (vig)
Hajipur

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 07.02.2020

Principal Chief Personnel Officer
East Central Railway/Hajipur

Sub- Periodical Medical Examinations of Railway employees working under safety category.

During investigation of a vigilance case, it was noted that PMEs of Railway employee working under safety category is not being conducted as per the instructions in IRMM'2000. In one case of an employee under medical category A-3, the same was found to be not conducted since his appointment i.e. for 12 yrs which is violation to the instructions laid down at Para 514 & 515 of IRMM' 2000.

As per Para 514 of IRMM'2000, Railway employees under safety category should be periodically examined throughout their service at the following intervals: -

(A) Category A-1, A-2 and A-3: -

(i) At the termination of every period of four years, calculated from the date of appointment, until they attain the age of 45 years, and then every two years until the age of 55 years and then there after annually, until the conclusion of their service.

(ii) If an employee in Medical category A has been periodically medically examined at any time within two years prior to his attaining the age of 45, his next medical examination should be held two years from the date of the last medical examination and subsequent medical examinations every two years until 55 years and then annually thereafter until retirement. If however such an employee has been medically examined at any time earlier than two years prior to his attaining the age of 45 years, his next medical examination should be held on the date he attains the age of 45 and subsequent medical examinations every two years thereafter.

(B) Category B-1 and B-2: - On attaining the age of 45 years, and thereafter at the termination of every period of 5 years.

It is pertinent to mention here that as per Para 515 of IRMM, the onus of sending a Railway employee for medical examination is on the employing department or branch.

In view of above, it is advised to ensure conduction of scheduled PMEs as per the instructions laid down at Para 514 & 515 of IRMM'2000.

The above system improvement suggestion may be implemented scrupulously. Action taken in this regard may be intimated to this office at the earliest.

(Sunny Sinha)
Dy. Chief Vigilance Officer (S)
For General Manager (Vig)

एस.आई.एल.–04 / 2020

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर / विज / सिस्टम इंप्रूवमेन्ट / 50 दिनांक 11.02.2020

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

विषय : टी.बी.एम्स के नियतन के संबंध में प्रणाली–सुधार।

एक मामले की जाँच के दौरान, यह संज्ञान में आया है कि निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान, अधिकांश टीबीएम को मध्य लाईन पिलर पर नियत किया गया जिसके कार्य–निष्पादन के दौरान गड़बड़ी होने की संभावना थी। इंजीनियरिंग कोड पैरा 438 एवं 43 में स्पष्ट रूप से बताया गया है, ''लाइन के बगल में तथा महत्वपूर्ण पुलों की साइटों पर बेंच मार्क एक किलोमीटर के अंतराल पर रहने दिया जाए। प्रत्येक मामले में किसी बेंच मार्क के लिए चयन की गई स्थिति ऐसी हो कि इसे निर्माण के दौरान सुविधाजनक तरीके से निर्दिष्ट किया जा सकता हो और उसी समय इसके साथ निर्माण की प्रगति के दौरान हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता हो। बेंच मार्क इस प्रकार या निर्माण के हों कि इसे शीघ्र हटाया न जा सके अथवा दुर्घटना अथवा उत्पात से क्षतिग्रस्त न हो सके। सभी बेंच मार्क इस प्रकार रखे जाएं तथा चिन्हित किये जायें कि आसानी से उसकी पहचान की जा सके और उनके सही विवरण और लोकेशन दर्ज किये जायें।''

उपर्युक्त को देखते हुए यह अनुरोध है कि निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान टीबीएम के नियतन के संबंध में एक प्रणाली सुधार पत्र जारी करने की कृपा करें।

(सौरभ मिश्र)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

SIL- 04/2020

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the,
General Manager (vig)
Hajipur

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 11.02.2020

Principal Chief Engineer,
E.C. Railway, Hajipur.

Sub:- System improvement regarding fixation of TBMs.

During investigation of a case, it has come to notice that during the execution of work, most of the TBMs were fixed on centre line pillar which were likely to be disturbed in the course of execution of work. Engineering code Para 438 & 43 clearly states that, "Bench marks should be left at intervals of not more than one kilometre along the line and at sites of important bridges. In every case the position chosen for a bench mark should be such that it can be conveniently referred to during construction and is, at the same time, not liable to be interfered with during the progress of construction. Bench Mark should be of such character or construction as not to be readily moved or injured by accident or mischief. All bench marks should be so placed and marked as to be easily identified and their correct description and location should be recorded".

In view of above, it is requested to issue a system improvement letter regarding fixation of TBMs during execution of works. A copy of instruction may be sent to this office for information and record.

(Saurabh Misra)
Dy. CVO (Engg)
For General Manager (Vig)

एस.आई.एल.–05/2020

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इंप्रूवमेन्ट/50 दिनांक 05.03.2020

पीसीईई, पीसीई, पीसीएसटीई, पीसीएमई,
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर,

सीएओ/कॉन/दक्षिण एवं उत्तर,
पूमरे/महेन्द्रघाट, पटना,

सीडब्ल्यूएम/एचआरटी,

सीएओ/आरडब्ल्यू/बेला।

विषयः– कार्य निविदा को अंतिम रूप देने के बारे में प्रणाली सुधार।

एक कार्य निविदा मामले की जाँच के दौरान निविदाओं को अंतिम रूप देने में कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताएं पाई गईं, जो इस प्रकार हैं:–

(i) निविदा दस्तावेज को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिंग के माध्यम से अनुमोदित नहीं किया गया था।
(ii) टीसी कार्यवाही में प्रस्तुत विलेख की प्रामाणिकता की जाँच नहीं की गई और
(iii) केवल एक एलएआर (04वर्ष पुराने) के संदर्भ में प्रति वर्ष 5% की सामान्य वृद्धि को दर में लिया गया है।

इसलिए, उपयुक्त दिशा–निर्देश जारी करने की सलाह दी जाती है, ताकि उपर वर्णित प्रक्रियात्मक अंतराल के रूप में कार्य निविदाओं को अंतिम रूप देने के दौरान बचा जा सके। 15 दिनों के अन्दर पूरी कार्रवाई रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी जा सकती है।

इसे अत्यावश्यक माना जाए।

(नीरज अग्रवाल)
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

SIL- 05/2020

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the,
General Manager (vig)
Hajipur

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 05.03.2020

PCEE, PCE, PCSTE, PCME,
E. C. Railway, Hajipur.

CAO/Con/South & North
E. C. Railway, Mahendrughat, Patna.

CWM/HRT.

CAO/RWP/Bela.

Sub:- System improvement regarding finalization of works tender.

During investigation of a case of works tender some procedural lapses observed in finalization of works tender, which are as follows:-

(i) The tender document was not approved by competent authority through noting.

(ii) The authenticity of submitted deed in TC proceeding was not checked and

(iii) The rate reasonability has been derived taking into general escalation of 5% per annum in reference to only one LAR (04 years Old).

It is, therefore advised to issue suitable guideline, so that above procedural lapses as mentioned above can be avoided during finalization of works tenders. Complete action taken report may be sent to this office within 15 days.

This may be treated as urgent.

(Neeraj Agrawal)
Sr. Dy. General Manager

एस.आई.एल.–06 / 2020

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर / विज / सिस्टम इंप्रूवमेन्ट / 50 दिनांक 18.03.2020

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
पूमरे / हाजीपुर।

विषय : पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में रेफर करने के पूर्व रोगी या उनके परिचर से विकल्प लिये जाने के पहलू पर प्रणाली सुधार।

——————

पूर्व मध्य रेल के मुगलसराय, सोनपुर, दानापुर, धनबाद, एवं समस्तीपुर स्थित मंडल रेल अस्पतालों तथा सीएसएसएच पटना में रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 2016 / एच–1 / 11 / 58 / पॉलिसी दिनांक 21.06.18 के आलोक में रोगी को पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में रेफर करने के पूर्व रोगी या उनके परिचर से विकल्प लिये जाने के पहलू पर निवारक जाँच के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आये:–

(1) उपरोक्त पत्र के आलोक में पैनलबद्व निजी अस्पतालों की सूची ओपीडी एवं कार्यालय में जहाँ पर रेफरल लेटर तैयार किया जाता है, प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जबकि दानापुर मंडल में पैनलबद्व निजी अस्पतालों की सूची बाहर एक दीवार पर चिपका हुआ, सीएसएसएच पटना में केवल ओपीडी एरिया में प्रदर्शित किया हुआ पाया गया, धनंबाद मंडल अस्पताल में नोटिस बोर्ड पर एवं आकस्मिक विभाग में प्रदर्शित किया हुआ पाया गया एवं समस्तीपुर मंडल अस्पताल में कार्यालय के गेट पर सटा हुआ पाया गया, जबकि सोनपुर मंडल रेल अस्पताल में कहीं भी नहीं लगा हुआ पाया गया।

(2) सभी मंडल रेल अस्पतालों में पैनलबद्व निजी अस्पतालों में रेफर से पूर्व लिखित रूप से मरीजों अथवा उनके परिचर से विकल्प लिये जाने तथा इस तथ्य को रेफरल लेटर पर अंकित करने का प्रचलन नहीं पाया गया ।

(3) सभी मंडल अस्पतालों के द्वारा रेफरल लेटर पर रोगी अथवा उनके परिचर का हस्ताक्षर / बायें या दाहिने हाथ के अगूँठे का निशान भी लिये जाने का प्रचलन नहीं पाया गया।

(4) कुछ मंडल अस्पतालों के द्वारा मरीजों को पैनलबद्व निजी अस्पतालों में रेफर से संबंधित सभी अस्पतालों के लिए एक ही लेजर में मेन्टेन किया जा रहा है जबकि कुछ मंडल अस्पतालों के द्वारा अलग–अलग पैनलबद्व निजी अस्पताल में रेफर से संबंधित अलग–अलग लेजर मेन्टेन किया जा रहा है जबकि समस्तीपुर मंडल अस्पताल के द्वारा रेफर से संबंधित लेजर भी मेन्टेन नहीं किया जा रहा है। अतः सभी मंडल अस्पतालों में एक समान कार्यप्रणाली अपनायी जाए।

अतः रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 2016 / एच–1 / 11 / 58 / पॉलिसी दिनांक 21.06.18 में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्यप्रणाली विकसित की जाए।

उपरोक्त तथ्यों पर समुचित कार्रवाई करते हुए इस कार्यालय को अवगत करायी जाए।

(सन्नी सिन्हा)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)

एस.आई.एल.–07/2020

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इंप्रूवमेन्ट/50 दिनांक 19.03.2020

प्रमुख मुख्य सिंगनल एवं दूर संचार इंजीनियर
पूमरे/हाजीपुर।

विषय :स्क्रैप सामिग्रयों के रखरखाव के संबंध में।

सिगनल स्टोर बरौनी, मुजफ्फरपुर, सोनपुर, खगड़िया एवं समस्तीपुर में स्क्रैप सामग्री के लेखाकरण एवं निष्पादन से संबंधित पहलू पर निवारक जाँच के दौरान निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये –

(1) भंडार संहिता के पैरा 3202 के अनुसार **Stores with Imprest holders** का भंडार सत्यापन दो वर्ष में एक बार की जानी चाहिए। परन्तु जाँच के दौरान सिंगनल स्टोर, सोनपुर मंडल की इकाइयों में 4–5 वर्ष बीत जाने बावजूद भी भंडार सत्यापन नहीं किया हुआ पाया। वही समस्तीपुर मंडल की इकाई में 12–16 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी रीलीज्ड समाग्रियों का भंडार सत्यापन किया हुआ नहीं पाया गया।

(2) पूर्व मध्य रेल के जेपीओ (JPO for handing of stores and maintenance of records thereof by field units) के पैरा 5 (a) के अनुसार खंड के सभी प्रभारी को डीएमटीआर एवं लेजर मेन्टेन करना चाहिए, परन्तु खंड के किसी भी सिंगनल इंस्पेक्टर के द्वारा किसी प्रकार का लेजर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है। अतः पूर्व मध्य रेल के जेपीओ के प्रावधान के अनुरूप कार्यप्रणाली सुधारी जाए।

(3) खंड से प्राप्त रीलीज्ड बैट्री किस नये बैट्री के निर्गमन के विरुद्व प्राप्त हुआ है का तथ्य लेजर में उल्लेखित किया हुआ नहीं पाया गया। यदि प्रत्येक नये बैट्री के निर्गमन के विरूद्व उसके बदले प्राप्त रीलीज्ड बैट्री का विवरण लेजर में दर्शायी गयी होती तो यह ज्ञात किया जा सकता था कि किस खंड से कितने नये बैट्री के निर्गमन के विरुद्व कितना रिलीज्ड बैट्री की प्राप्ति लंबित है। साथ ही यदि सिंगनल स्टोर के द्वारा नये स्थानों (New installation) पर बैट्री की निर्गमन की जाती है तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन लिया जाना चाहिए। अतः नये बैटी के निर्गमन एवं रीलीज्ड बैट्री की प्राप्ति हेतु एक सुदृढ़ प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

(4) व0अनु0 इंजी0/सिंगनल/बरौनी की इकाई में 19.48 MT (Fe) 355 Kg(NF) 269 Nos.(diff. types Batteries), व0अनु0 इंजी0/सिंगनल/मुजफ्फरपुर की इकाई में 17.826 MT (Fe) 740.5 Kg (NF) 407 Nos.(diff. types Batteries), व0अनु0 इंजी0/सिंगनल/सोनपुर की इकाई में 10.83 MT (Fe) 269 Kg(NF) 456 Nos.(Batteries), व0अनु0 इंजी0/सिंगनल/खगड़िया की इकाई में 25 MT (Fe) 183 Nos.(Batteries), व0अनु0 इंजी0/सिंगनल/समस्तीपुर की इकाई में 681 Kg(Fe) released materials निष्पादन हेतु लंबित पायी गयी। इन सामग्रियों के यथाशीघ्र निष्पादन हेतु कार्यप्रणाली विकसित करायी जाए।

उपरोक्त वर्णित तथ्य पर यथाशीघ कार्रवाई करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

(सन्नी सिन्हा)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक(सतर्कता)

प्रतिलिपिः–प्रधान वित्त सलाहकार/पूमरे/हाजीपुर को सादर सूचनार्थ एवं आग्रह है कि क्रम सं0 1 पर वर्णित अनियमितताओं को यथाशीध्र निवारण करायी जाए।

एस.आई.एल.–08/2020

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इंप्रूवमेन्ट/50 दिनांक 20.03.2020

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त
पूमरे/हाजीपुर।

विषय : रेलवे सुरक्षा बल के आवधिक चिकित्सा जाँच कराने के पहलू पर प्रणाली सुधार।

पूर्व मध्य रेल के उप मंडलीय अस्पताल, गया तथा मंडल अस्पतालों दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर, धनबाद, एवं दीन दयाल उपाध्याय में रेलवे सुरक्षा बल के आवधिक चिकित्सा जाँच के पहलू पर निवारक जाँच की गई। निवारक जाँच के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः–

(1) किसी भी मंडल के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल में तैनात किसी भी कर्मी का नियमित आवधिक चिकित्सा जाँच नहीं करायी हुई पायी गयी जो भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के पैरा 514 (बी) नोट–1 के निर्देशों का उल्लंघन है।

(2) कुछ मंडल अस्पताल में रेलवे सुरक्षा बल का चिकित्सीय जाँच करायी हुई पायी गई, लेकिन वे सभी नियमित आवधिक चिकित्सा जाँच से संबंधित नहीं थे। वे सभी किसी न किसी प्रकार के ट्रेनिंग में भेजने के पूर्व चिकित्सा जाँच कराए गए थे। जबकि भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के पैरा 514 (बी) **नोट–1 के निर्देशानुसार–**

रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से सेवा के समापन तक हरेक तीन साल की अवधि की समाप्ति पर शारीरिक फिटनेस के लिए फिर से जाँच की जाएगी। हालाँकि, रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षकों, उप–निरीक्षकों और सहायक निरीक्षकों के शारीरिक फिटनेस और Visual acuity test के लिए 45 वर्ष की आयु और उसके बाद पाँच साल की हर अवधि की समाप्ति पर पुनः जाँच किये जाने का प्रावधान है।

अतः भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के पैरा 514 (बी) नोट–1 में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्यप्रणाली विकसित की जाए।

उपरोक्त तथ्यों पर समुचित कार्रवाई करते हुए इस कार्यालय को अवगत करायी जाए।

(सन्नी सिन्हा)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक(सतर्कता)

एस.आई.एल.–09/2020

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इंप्रूवमेन्ट/50 दिनांक 28.04.2020

**(1) प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर**

**(2) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/दक्षिण एवं उत्तर
पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रूघाट, पटना**

विषयः आइआरडब्ल्यूएम के पैरा–720 के अनुसार वृक्ष पंजियों को तैयार करने एवं आइआरडब्ल्यूएम के पैरा–715 के अनुसार दृश्य बाधित करने वाले वृक्षों की कटाई तथा निर्माण परियोजनाओं के लिए सेक्शन सुपुर्द करने के समय चालू लाईन एवं निर्माण के बीच वृक्षों सहित सभी परिसम्पत्तियों के सही आदान–प्रदान के संबंध में प्रणाली–सुधार।

एक मामले की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि आइआरडब्ल्यूएम के पैरा–720 के अनुसार वृक्ष पंजियॉं नहीं रखी जा रही हैं। यह भी पाया गया कि तिथि, कर्मचारियों के हस्ताक्षर, वृक्षों का क्रमांक वृक्ष पंजी में उपलब्ध नहीं थे। आगे, संयुक्त जाँच में यह भी पाया गया कि निर्माण परियोजनाओं के लिए सेक्शन सुपुर्द करने के समय चालू लाईन एवं निर्माण संगठन के बीच वृक्षों सहित सभी परिसम्पत्तियों का ठीक से आदान–प्रदान नहीं किया गया।

आइआरडब्ल्यूएम के पैरा–720 के अनुसार प्रत्येक वर्ष उत्तरजीवी वृक्षों का एक सर्वे उस वर्ष के लिए किया जाना चाहिए तथा नीचे दिये गये प्रोफार्मा में तत्संबंधी जानकारी दी जानी चाहिए।

वृक्षों के लोकेशन	वृक्षों के प्रकार	50सेमी. घेरे से अधिक वाले वृक्षों की सं.	15सेमी. से 50सेमी. घेरे तक के वृक्ष	बाल वृक्ष जिन्हें सुरक्षा चाहिए	कुल	टिप्पणी
I	II	III	IV	V	VI	VII

उपर्युक्त सूचना प्रभारी सेक्शन इंजीनियर (निर्माण/रेल पथ) द्वारा इस प्रयोजन हेतु एकत्रित कर उसकी प्रविष्टि वृक्ष पंजी में की जानी चाहिए। लगाए गये, काटे गये तथा नष्ट हुए वृक्षों की सं. से संबंधित सूचना को किसी अन्य पंजी में रखा जाना है। प्रत्येक वर्ष एक समेकित सूचना रेलवे बोर्ड को 30 अप्रैल तक भेजा जाना अपेक्षित है। ऐसे वृक्ष जो किसी ट्रेन से सिग्नलों, लेवल क्रॉसिंग अथवा कर्व के अंदर किनारे के दृश्य में बाधा पहुँचाते हों अथवा पहुंचाने वाले हों, उनकी कटाई आइआरडब्ल्यूएम के पैरा–715 के अनुसार की जानी चाहिए।

इस प्रकार, फील्ड में निम्नलिखित बातें सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता हैः–

(I) आइआरडब्ल्यूएम के पैरा–720 के अनुसार वृक्ष पंजी रखा जाना।
(II) आइआरडब्ल्यूएम के पैरा–715 के अनुसार दृश्य बाधित करने वाले वृक्षों की कटाई।
(III) निर्माण परियोजनाओं के लिए सेक्शन के सुपुर्द करने के समय चालू लाईन तथा निर्माण के बीच वृक्षों सहित सभी परिसम्पत्तियों का ठीक से आदान–प्रदान।

उपर्युक्त को देखते हुए यह अनुरोध है कि इस संबंध में उपयुक्त निर्देश/दिशा–निर्देश सभी फील्ड इकाइयों को जारी करने की कृपा करें। जारी किये गये निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भिजवायी जाए।

**(सौरभ मिश्र)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता**

SIL- 09/2020

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the,
General Manager (vig)
Hajipur

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 28.04.2020

**Principal Chief Engineer, ECR/HJP.
CAO/South & North, ECR, Mahendrughat, Patna.**

Sub: System improvement regarding preparation of tree registers according to para-720 of IRWM & felling of trees obstructing view as per Para-715 of IRWM and proper handing & taking over of all assets including trees between open line and construction at the time of handing over of section for construction projects.

During investigation of a case, it was found that tree registers are not being maintained as per para-720 of IRWM. It was also a found that date, signature of officials, numbering of trees were not available in tree register. Further, it was also found during joint check that proper handing and taking over of all assets including trees was not done between open line and construction organisation at the time of handing over of section for construction projects.

As per para-720 of IRWM, every year a survey of surviving trees should be made for that year and information should be furnished in the proforma as detailed below: -

Location of trees.	Type of trees.	No. of trees more than 50cm girth.	Trees from 15cm to 50cm girth.	Saplings needing protection.	Total	Remarks
I	II	III	IV	V	VI	VII

The above information should be collected and entered in a tree register maintained for this purpose by Section Engineer (Works/P.Way) in-charge. The information with regard to number of trees planted, cut and perished have to be maintained in another register. A consolidated information is required to be sent to the Railway Board by 30th April, every year. The felling/cutting of trees that interfere or tend to interfere with the view from a train, of signals or level crossings or along the insides of curves should be as per para-715 of IRWM.

Thus, following needs to be ensured in field:-

(i) Maintenance of the tree register according to para-720 of IRWM
(ii) Felling of trees obstructing view as per para-715 of IRWM
(iii) Proper handing and taking over of all assets including trees between open line and construction at the time of handing over of section for construction projects.

In view of the above, it is requested that suitable instruction/guidelines in this regard may kindly be issued to all field units. A copy of instruction issued may be sent to this office for information and record.

**(Saurabh Misra)
Dy.CVO (Engg)
For General Manager (Vig)**

एस.आई.एल.–10 / 2020

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर / विज / सिस्टम इंप्रूवमेन्ट / 50 दिनांक 01.06.2020

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
पूमरे / हाजीपुर।

विषय : दवा की स्थानीय खरीद में प्रणाली सुधार।

———

दवा की स्थानीय खरीद के पहलू पर मंडल अस्पतालों में निवारक जाँच के दौरान कुछ विसंगतिया पाई गईं। इन विसंगतियों से बचने के लिए निम्नलिखित प्रणाली सुधार सुझाए गए हैं:–

(i) रेलवे बोर्ड / सतर्कता के पत्रांक: आरबी / विज एल नं. ;(i) 2008/V-1/CVC/1/4 दिनांक 11.09.08 (ii) 2008/V-1/CVC/1/4 दिनांक 18.02.09 और (iii) 2017/V-1/ALSL/1/1 दिनांक 10.12.19 के आलोक में प्रत्येक चार साल में प्रोक्योरमेंट फार्मासिस्ट का रोटेशनल स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाना है इसके बावजूद एक्स, फार्मासिस्ट और वाई, मुख्य फार्मासिस्ट दोनों को उनकी संबंधित इकाइयों अर्थात् इकाई एक्स..एक्स..एक्स और डीआरएच / वाइ..वाइ..वाइ द्वारा संबंधित इकाइयों में चार वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रोक्योरमेंट फार्मासिस्ट के रूप में बनाए रखा गया है जो उक्त निर्देशों के विपरीत है। उपरोक्त कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से उक्त संवेदनशील पद से स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

(ii) डीआरएच / वाई..वाई..वाई को छोड़कर अन्य सभी डीआरएच आईआरईपीएस पोर्टल पर दवाओं की खरीद के लिए ई–टेंडर आमंत्रित कर रहे हैं। डीआरएच / वाई..वाई..वाई अभी भी मैनुअल टेंडर आमंत्रित कर रहा है। चूँकि मैनुअल टेंडर रेलवे बोर्ड के आपूर्ति में पारदर्शिता एवं इसके पूर्ण डिजिटलीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा पहुँचाते हैं इसलिए डीआरएच / वाई..वाई..वाई के द्वारा मैनुअल टेंडर के स्थान पर आईआरईपीएस पोर्टल पर दवाओं की खरीद सुनिश्चित करने का सुझाव दिया जाता है। सभी डीआरएच को यह सलाह दी जा सकती है कि खरीद प्रणाली के शुरूआत से अंत तक डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करें ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

उपरोक्त सुझाए गए प्रणाली सुधार को निष्ठापूर्वक लागू किया जाए। जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सन्नी सिन्हा)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)

SIL- 10/2020

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the,
General Manager (vig)
Hajipur

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 01.06.2020

Principal Chief Medical Director,
East Central Railway,
Hajipur

Sub- System improvement in local purchase of drug items.

During preventive check conducted in divisional hospitals on aspect of local purchase of drug items, some anomalies were noted. In order to avoid these anomalies, following system improvement measures are suggested:-

(i) Rotational transfer of Procurement Pharmacists every four years in mandated vide RB/Vig's L/No. (i) 2008/V-1/CVC/1/4 dated 11.09.08, (ii) 2008/V-1/CVC/1/4 dated 18.02.09 & (iii) 2017/V-1/ALSL/1/1 dated 10.12.19. Despite that, Pharmacist X and Chief Pharmacist Y both have been retained by their respective units i.e. Unit XXX & DRH/YYY respectively in their respective units as Procurement Pharmacists for a period beyond four years and thereby above directives RB/Vigilance has been violated by above two units. The above two officials need to be transferred from the above sensitive post with immediate effect.

(ii) Except DRH/YYY, all other DRHs are inviting e-tenders for procurement of medicines on IREPS portal. DRH/ YYY is still inviting manual tenders. Since, manual tenders defeat the goal of transparency as well as end to end digitalization of procurement system as envisaged by Railway Board time to time, it is suggested to ensure procurement of medicines on IREPS portal in place of existing practice of manual tenders by DRH/YYY. All DRHs may also be advised to ensure end to end digitalization of procurement system so as to ensure transparency.

The above system improvement suggestion may be implemented scrupulously. A copy of instructions issued may be sent to this office for information and record.

(Sunny Sinha)
Dy. Chief Vigilance Officer (S)
For General Manager (Vig)

एस.आई.एल.–11 / 2020

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर / विज / सिस्टम इंप्रूवमेन्ट / 50 दिनांक 14.07.2020

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

विषय: अनुरक्षण प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के संबंध में प्रणाली–सुधार।

एक मामले की जाँच के दौरान यह देखा गया कि डीओसी के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था। अनुरक्षण अवधि के दौरान, न तो किसी कर्मचारी के द्वारा कोई खराबी पाई / दर्ज की गई और न ही सुधार हेतु एजेंसी को कोई सूचना दी गई। फील्ड कर्मचारी के द्वारा अदेयता प्रमाण–पत्र भी हस्ताक्षरित किया गया जिसके आधार पर पीजी जारी किया गया। संबंधित सहायक इंजीनियर के द्वारा मंडल को अंतिम बिल भी प्रस्तुत किया गया लेकिन अनुरक्षण प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया। जीसीसी के खंड 50(I) के अनुसार, अनुरक्षण प्रमाण–पत्र इंजीनियर द्वारा अनुरक्षण अवधि की समाप्ति पर दिया जाएगा अथवा इसके पश्चात् जैसे ही इन शर्तों के संबंध में उपखंड–2 से खंड–48 के अनुपालन में ऐसी अवधि के दौरान आदेश किए गए किसी भी निर्माण कार्य को इंजीनियर की संतुष्टि के अनुरूप पूरा कर लिया जाएगा।

आगे अनुरक्षण अवधि की समाप्ति के छह माह के पश्चात् कुछ ऐसी खराबी जिसे ठीक से निर्धारित भी नहीं किया गया था उसे सुधार के लिए एजेंसी को सूचित किया गया और जिसके आधार पर अंतिम बिल को आज तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। संविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जाना तथा भुगतान रोकना संविदाकारों के प्रति प्रताड़ना है। ऐसे मामले को टाला / कम किया जा सकता है जब अनुरक्षण प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के संबंध में जीसीसी के खंड 50(I) के प्रावधानों को ठीक से लागू किया जाए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध है कि जीसीसी के अनुसार अनुरक्षण प्रमाण–पत्र समय पर जारी किए जाने के संबंध में एक प्रणाली सुधार पत्र जारी किया जाए।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सौरभ मिश्र)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

SIL- 11/2020

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the,
General Manager (vig)
Hajipur

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 14.07.2020

Principal Chief Engineer,
E. C. Railway, Hajipur.

Sub:-System improvement regarding issue of maintenance certificate.

During investigation of a case, it is observed that the work was completed within DOC. During maintenance period, neither any defect was found/recorded by any officials nor anything was communicated to the agency for rectification. No claim certificate was also signed by field officials, on the basis of which PG was released. Final bill was also submitted by concerned AEN to the Division. But maintenance certificate was not issued. As per clause 50(1) of GCC, the maintenance certificate shall be given by the Engineer upon the expiration of the period of maintenance or as soon thereafter as any works ordered during such period pursuant to Sub Clause (2) to Clause 48 of these conditions shall have been completed to the satisfaction of the Engineer.

Later, after six months of completion of maintenance period, some defects which were not even properly quantified, were communicated to the agency for rectification and on the basis of which final bill has not been finalized till date. Non-finalisation of Contract and withholding payment leads to harassment to the Contractors. Such issues can be avoided/reduced if the provisions of clause 50(1) of GCC regarding issue of maintenance certificate are properly implemented.

In view of the above, it is requested to issue a system improvement letter regarding timely issue of the maintenance certificate as per GCC.

A copy of instruction issued may be sent to this office for information and record.

(Saurabh Misra)
Dy. CVO (Engg)
For General Manager (Vig)

एस.आई.एल.–12 / 2020

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर / विज / सिस्टम इंप्रूवमेन्ट / 50 दिनांक 11.08.2020

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण / दक्षिण,
पूर्व मध्य रेल,
महेन्द्रूघाट, पटना

विषयः निर्माण कार्य निविदाओं में न्यूनतम पात्रता मापदंड हेतु समान प्रकृति के कार्य।
संदर्भः रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2012 / सीई–1 / सीटी / ओ / 5 दिनांक 09.04.2012

निविदा मामलों की जाँच के दौरान यह देखा जाता है कि निर्माण संगठन द्वारा आमंत्रित निविदाओं जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य सम्मिलित किए गए हैं, हेतु समान प्रकृति के कार्य के लिए न्यूनतम पात्रता मापदंड को इस प्रयोजन हेतु जारी उप मुइं / नि. / दक्षिण के पत्र सं. ईसीआर / सीएओ / सी / डब्ल्यूटी / साउथ / टेंडर पॉलिसी 5394 दिनांक 01.11.17 में शामिल नहीं किया जाता है। यह भी देखा गया है कि रेलवे बोर्ड के पत्र के संदर्भ में निर्माण संगठन में नामित मुख्य इंजीनियर / मुसिदूइं / मुविइं की भूमिका स्पष्ट नहीं है।

उपर्युक्त संदर्भ (1) को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि निर्माण कार्य निविदा में न्यूनतम पात्रता मापदंड हेतु समान प्रकृति के कार्य के संबंध में मामले को सरल एवं कारगर बनाया जाए ताकि अत्यधिक विवेचन और परस्पर विरोध से बचा जा सके।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सौरभ मिश्र)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

प्रतिलिपिः

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण / उत्तरः इसी तरह की कार्यवाई के लिए सादर सूचनार्थ प्रेषित।

SIL- 12/2020

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the,
General Manager (vig)
Hajipur

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 11.08.2020

CAO/Con/South,
E.C. Railway,
Mahendrughat,
Patna.

Sub: Similar nature of work for minimum Eligibility Criteria in Works tenders.
Ref: Railway board's letter no. 2012/CE-1/CT/O/5 dtd. 09.04.2012

During investigation of Tender cases, it is found that for tenders called by construction Organisation in which different types of work have been clubbed, minimum eligibility criteria for similar nature of work is not properly covered in Dy. CE/C/South's letter No. ECR/CAO/C/WT/ South/Tender Policy 5394 dated 01.11.17 issued for this purpose. It has also been found that in reference to Railway Board's letter, there is lack of clarity on the role of nominated Chief Engineer/CSTE/CEE on Construction Organisation.

In view of ref (i) above, you are requested to streamline the issue regarding Similar nature of Work for minimum Eligibility Criteria in Works tenders to avoid excessive discretion & inconsistency.

A copy of instruction issued may please be sent to this office for information and record please.

(Saurabh Misra)
Dy. CVO (Engg)
For General Manager (Vig)

Copy to-

CAO/Con/North- for kind information & similar action please.

एस.आई.एल.–13 / 2020

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर / विज / सिस्टम इंप्रूवमेन्ट / 50 दिनांक 07.09.2020

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक,
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषयः – भंडार निविदाओं में कार्टेल फॉरमेशन के संबंध में प्रणाली सुधार।

एक मामले की जाँच के दौरान, जिसमें अनुमोदित स्रोतों के माध्यम से खरीद के लिए विशेष सीमित निविदा जारी की गई थी, यह पाया गया कि निविदा आमंत्रण 16 फर्मों को भेजा गया था, लेकिन उनमें से केवल 5 ने भाग लिया। इन पाँच फर्मों में से, तीन फर्मों के बीच परस्पर संबंध का साक्ष्य पाया गया जैसे कि दो फर्मों के मालिक किसी तीसरे फर्म के निदेशक थे। ऐसी स्थिति में भाग लेने वाले निविदाकारों के हितों में टकराव की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति, जहां एक फर्म का अपने सहयोगी संस्था या फर्मो के साथ परस्पर संबंध है, से निपटने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश का उपलब्ध होना नहीं पाया गया।

इसके अलावा, यह भी पाया कि आर.डी.एस.ओ. के वेन्डर डायरेक्टरी में अनुमोदित फर्मों के सहयोगी संस्था का नाम, यदि कोई है, तो प्रकाशित होना पाया गया परन्तु यह आई.सी.एफ. जैसी अन्य अनुमोदन करने वाली एजेंसियों के वेन्डर डायरेक्टरी में होना नहीं पाया गया।

उपरोक्त स्थिति से निपटने हेतु स्पष्ट दिशा–निर्देश का अभाव निविदा का कार्य देखने वाले कार्यालयियों को एक अनपेक्षित त्रुटि की ओर ले जा सकती है। इसलिए, उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने के लिए उपयुक्त स्तर पर मामला उठाया जा सकता है।

उपरोक्त मामलें में की गई कार्रवाई के साथ–साथ जारी किये गए निर्देशों की प्रति इस कार्यालय को सूचना और अभिलेख के लिये भेजी जाए।

(सन्नी सिन्हा)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक(सतर्कता)

SIL- 13/2020

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the,
General Manager (vig)
Hajipur

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 07.09.2020

Principal Chief Material Manager,
East Central Railway,
Hajipur

Sub- System improvement in respect of cartel formation in stores tenders.

During the course of investigation of a case wherein special limited tender was issued for procurement through approved sources, invitation was sent to 16 vendors but only 5 of them participated. Out of these five firms, interconnection among three of them was observed as proprietors of two firms were found to be directors of a third firm. Such situation tantamounts to conflict of interest of participating tenderers. Guidelines to deal with such situation, where a firm along with its sister concerns or firms having interconnection with each other, are not found to be available.

Further, it was observed that in the vendor directory of RDSO, names of sister concerns of an approved vendor, if so, is published but the same in the vendor directory of other approving agencies like ICF is not published.

In the absence of clear guidelines to deal with such situation, the above ambiguities may lead towards an unintended error by officials dealing with tenders. Hence, the matter may be taken up at suitable level for issuance of clear guidelines on the above.

Action taken in the matter as well as the copy of instructions issued may be sent to this office for information and record.

(Sunny Sinha)
Dy. Chief Vigilance Officer (S)
For General Manager (Vig)

एस.आई.एल.–14/2020

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
हाजीपुर

सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इंप्रूवमेन्ट/50 दिनांक 09.09.2020

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
पूमरे/हाजीपुर।

विषय : सिक–फिट प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता।

एक परिवाद की जाँच के दौरान फिट प्रमाण पत्र जारी करने में कुछ प्रक्रियात्मक खामियां पाई गईं जो निम्न हैं:'

1. अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए, दो संविदा चिकित्सकों के द्वारा निकटतम अस्पताल/औषधालय/स्वास्थ्य इकाइयों में उपलब्ध नियमित रेलवे चिकत्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किए बिना 7 दिनों (कुछ केसों में यह 50 दिनों तक था) से अधिक की सिक अवधि के लिए अन्य रेलवे जोन के कर्मचारियों को सिक–फिट प्रमाण पत्र जारी किए गए।
2. पूर्व मध्य रेल के चार मंडलों के स्वास्थ्य इकाइयों/अस्पतालों द्वारा बीमार सूचीबद्ध कर्मचारियों के 10 दिन से ज्यादा की सिक अवधि वाले मामले में, कर्मचारी के मुख्यालय स्टेशन पर रेलवे चिकित्सक को संबंधित केस पेपर नहीं भेजे गए थे जो भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के पैरा 541(4) के निर्देशों का उल्लंघन है।
3. शुरू में डॉक्टरों द्वारा सिक/फिट प्रमाण पत्र तीन से सात दिन की निर्धारित अवधि के लिये जारी होना पाया गया। इसके पश्चात् बिना निरंतरता सिक प्रमाण पत्र जारी किये बाद की अवधि में फिट प्रमाण पत्र जारी होना पाया गया जो आईआरएमएम के पैरा 539 के निर्देशों का उल्लंघन है। इस पहलू पर पत्र सं. ईसीआर/विज/सिस्टम इंप्रूवमेंट/50 दिनांक 13.03.2018 (एसआईएल–04/2018) के माध्यम से एक प्रणाली सुधार पत्र पहले जारी किया गया था लेकिन इसे भी लागू होना नहीं पाया गया है।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं पर आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने की सलाह दी जाती है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। कृत कार्यवाही की सूचना जल्द से जल्द इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

(सन्नी सिन्हा)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक(सतर्कता)

SIL- 14/2020

EAST CENTRAL RAILWAY

Office of the,
General Manager (vig)
Hajipur

No. ECR/Vig./System Improvement/50 Date: 09.09.2020

Principal Chief Medical Director
East Central Railway,
Hajipur

Sub- Irregularities in issuing Sick-Fit Certificate.

In the course of investigation of a complaint, some procedural lapses in issuing sick certificates were observed which are as below:-

(i) In violation of the terms & conditions of contract with Contract Medical Practitioner, two CMPs issued sick-fit certificates to the employees of other zones for a sick period longer than 7 days (in some cases, it was 50 days) without obtaining counter signature of a regular Railway Medical officer available at the nearest Hospital/dispensary/ Health Units.

(ii) In violation of Para 541 (4) of IRMM, relevant case papers of sick listed employees were not sent to the Railway doctor at the Headquarter station of employee in cases where RMC Certificates were issued for a sick period longer than 10 days. This anomaly was observed in health units/hospitals of four divisions of ECR.

(iii) Sick/unfit certificate was initially issued for a period of three/seven days. Further, without issuing continuation sick certificate, fit certificate was found to be issued beyond the prescribed period of three/seven days. This is violation of the instructions of para 539 of IRMM. On this aspect, a system improvement letter vide L/No. ECR/Vig/system Improvement/50 dated 13.03.2018 (SIL-04/2018) was issued earlier but the same is found to be not implemented also.

It is, therefore, advised to issue necessary guidelines on the above lapses for their non-repetition in future. Action taken in this regard may be intimated to this office at the earliest.

(Sunny Sinha)
Dy. Chief Vigilance Officer (S)
For General Manager (Vig)

केस अध्ययन

यातायात

- ए. के. सिंह मुसतानि/यातायात/पूमरे
- ए. के. श्रीवास्तव, मुसतानि/यातायात/पूमरे
- आई. आई. ए. फरीदी मुसतानि/यातायात/पूमरे
- जे. के. मजूमदार, मुसतानि/यातायात/पूमरे
- ज्योति प्रकाश, मुसतानि/यातायात/पूमरे
- प्रवीण कुमार, मुसतानि/यातायात/पूमरे
- रंजीत कुमार, मुसतानि/यातायात/पूमरे
- एस. के. सिंह, मुसतानि/यातायात/पूमरे

1. अनारक्षित टिकट काउण्टर पर अनियमितता।

स्रोत सूचना के आधार पर, कार्यरत बुकिंग स्टॉफ द्वारा निजी लाभ के लिए लम्बी दूरी के टिकट पर मुद्रित मूल्य से अधिक भाड़ा वसूली की जाती है, सतर्कता विभाग द्वारा निवारक जाँच अनारक्षित टिकट काउण्टर पर आयोजित की गई।

उस सतर्कता जाँच में बुकिंग स्टॉफ के पास से रु. 213/–(दो सौ तेरह मात्र) सरकारी रकम में अधिकता पाई गई।

संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध रेल अनुशासन व अपील नियम के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

2. लीज पर दिये गये एस.एल. आर. में अतिलदान।

- स्रोत सूचना के आधार पर किसी गाड़ी में लीज पर दिये गये एस.एल.आर में अधिक लदान के लिए एक निवारक जाँच किया गया, जाँच के दौरान अनलोडिंग स्टेशन पर लीज पर दिये गए एस.एल.आर के पैकेजों का पुनः वजन किया गया जो इस प्रकार हैः–

➢ लीज पर दिये गये एस.एल.आर का वजन क्षमता – 3900 किलोग्राम
➢ पार्टी के द्वारा घोषित वजन– 3880 किलोग्राम
➢ वास्तविक वजन जो जाँच में पाया गया– 7889.45 किलोग्राम
➢ जाँच में पाया गया अधिक वजन– 3989.45 किलोग्राम (एस.एल.आर के वहन क्षमता से सौ फिसदी अधिक)
➢ इस प्रकार जाँच में रूपया 151550/– (एक लाख इकावन हजार पांच सौ पचास रूपये मात्र) अवप्रभार के रूप में अर्जित किया गया।

संबंधित रेलवे को पार्टी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु सूचित किया गया तथा लीज पर एस. एल.आर में लदान के दौरान पर्यवेक्षण करने हेतु सूचित किया गया।

गुप्त सूचना के आधार पर लीज पर दिये गये एस.एल.आर. में आये आवक पैकेजों की औचक निवारक जाँच का आयोजन किया गया और 1444 किलोग्राम अतिलदान पाया गया।

भाड़े एवं दण्ड प्रभार के रूप में रू. 104927 (एक लाख चार हजार नौ सौ सताईस रूपये मात्र) की वसूली की गई।

संबंधित रेलवे के लोडिंग एवं सतर्कता विभाग को अग्रेत्तर कार्रवाई के लिए सूचित किया गया।

3. स्टेशन गेट पर पदस्थापित टिकट चेकिंग स्टाफ के द्वारा की गई अनियमितता।

स्रोत सूचना के आधार पर एक स्टेशन गेट पर पदस्थापित टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा सरकारी धन कृत्रिम कमी कर निजी लाभ लिया जाता है, सतर्कता जाँच आयोजित की गई एवं सरकारी धन में रू. 395/– (तीन सौ पनचानवे रूपये मात्र) की कमी पायी गई।

संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध रेल अनुशासन व अपील नियम के तहत कारवाई की अनुशंसा की गई।

4. अत्यधिक मात्रा में सरकारी धन की कमी।

गुप्त सूचना के आधार पर अनारक्षित टिकट काउण्टर पर सतर्कता निवारक जाँच आयोजित की गई एवं सरकारी धन में काउण्टर पर रू. 1190/– (एक हजार एक सौ नब्बे रूपये) की कमी पायी गयी। संबंधित कर्मचारी को अनुशासन एवं अपील नियम के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

Case Study

Traffic

- A. K. Singh, CVI(T)/ECR
- A. K. Srivastava, CVI(T)/ECR
- I. I. A. Faridi, CVI(T)/ECR
- J. K. Majumdar, CVI(T)/ECR
- Jyoti Prakash, CVI(T)/ECR
- Praveen Kumar, CVI(T)/ECR
- Ranjeet Kumar, CVI(T)/ECR
- S. K. Singh, CVI(T)/ECR

1. Irregularities in UTS Counter.

On the basis of source information, excess fare is being collected by on duty booking clerk at UTS counter of long-distance unreserved tickets.

The Vigilance check was organised and Rs. 213/- (Two hundred thirteen only) found excess in Government cash with the booking clerk.

The concerned staff taken up under DAR.

2. Irregularities in Leased SLR.

- On the basis of reliable source information, the compartment of leased SLR was checked, inward package was reweighted at destination. Over loading of 3989.45 Kg. was detected excess against the carriage capacity of SLR 3900 Kgs.

➢ Capacity of the leased SLR = 3900 Kg
➢ Weight declared by the lease = 3880 Kg
➢ Actual weight found = 7889.45 Kg
➢ Excess weight found= 3989.45 Kg (More than 100 % excess than the CC of SLR)
➢ A Sum of Rs. 151550/- (One lakh fifty-one thousand five hundred fifty only)

The concerned Railway & Vigilance organisation were appraised for taking corrective measures.

On the basis of reliable information, the compartment of leased SLR was checked, inward package was reweighted at destination. Over loading detected to the tone of 1444 KG.

A punitive charge along with freight amounted Rs. 1,04,927 (Rs. One lakh four thousand nine hundred twenty-seven only) realised.

The concerned Railway & Vigilance organisation were appraised for taking corrective measures.

3. Irregularities detected with Ticket Collector posted at station for manning entry/exit gate.

On the basis of source information that the ticket checking staff manning the entry/exit gate is habit of embezzlement of Government cash, Vigilance raid was conducted. Rs. 395/- (Three hundred ninety-five only) found short in Government cash. The concerned Railway employee taken up under DAR.

4. Heavy shortage in Government cash.

On reliable information a Vigilance check was organised at UTS counter and Rs. 1190/- (One thousand one hundred ninety only) found short in Government cash.

Employee was taken up under DAR for marking the shortage in Government cash

5. अति लदान के वैगनों का पूर्ण समायोजन में कमी।

गुप्त सूचना के आधार पर सतर्कता निवारण जाँच के दौरान प्रथन वजन स्थान पर पाये गये अतिलदान के वैगनों का पुनः दूसरे वजन घर पर वजन कराने पर पूर्ण समायोजन में कमी पाई गई एवं दण्ड स्वरूप निम्न कार्रवाई की गयी।

क) 54.4 टन के कोयले पर 3 गुणा भाड़ा वसूली हुई।
ख) 200 टन के कोयले पर 5 गुणा भाड़ा वसूली हुई।
ग) कुल रू. 16,75,173 (सोलह लाख पचहत्तर हजार एक सौ तिहत्तर रूपये मात्र) की वसूली की गई।

6. कोयले के रेक में ओवरलोडिंग।

स्रोत सूचना के आधार पर दीन दयाल उपाध्याय वे ब्रीज पर कोयले के रेक में ओवरलोडिंग की एक निवारक जाँच किया गया। जाँच के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत महानदी कोल फील्ड लिमिटेड साइडिंग से लादे गये 58 बी.आ.एक्स.एन.एच.एल के रेक का पुनः वजन किया गया जोकि राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हिसार के लिए था। पुनः तौल के पश्चात यह पाया गया कि दीन दयाल उपाध्याय वे ब्रीज पर कुल भार 4059.9 टन था, जबकि महानदी कोल फील्ड लिमिटेड में इसका वजन 3695.74 टन था, इस प्रकार 91.59 टन की अति लदान पाया गया एवं अवप्रभार के रूप में रू. 10,60,941/– उपार्जित किया गया।

माल यातायात

क्या करें।

- ❖ अपनी ड्यूटी प्रारंभ करने के पूर्व निजी धन घोषणा पंजिका में अपने निजी धन की घोषणा करें।
- ❖ प्रतिबंध को सदैव अद्यतन रखें।
- ❖ सूचना पट्ट पर प्रतिबंध और स्वीकार्य कोटा प्रदर्शित करें।
- ❖ उचित अग्रेषण पत्र स्वीकार करें।
- ❖ माल का सही वर्गीकरण सुनिश्चित करें।
- ❖ दूरी की सही गणना सुनिश्चित करें।
- ❖ उतराई समाप्ति का सही अंकन सुनिश्चित करें।
- ❖ अवप्रभार यदि कोई हो तो उसकी सही गणना एवं वसूली सुनिश्चित करें।
- ❖ विलम्बन शुल्क, स्थान शुल्क यदि कोई हो तो उसकी सही गणना एवं वसूली सुनिश्चित करें।
- ❖ उतराई प्रारंभ करने के पूर्व सीलों की जाँच पड़ताल कर लें।

क्या न करें।

- ❖ निजी धन घोषणा पंजिका में निजी धन की घोषणा करना न भूलें।
- ❖ घोषित निजी धन की सूचना में कोई बदलाव न करें।
- ❖ बिना उचित भाड़ा वसूल किये रेलवे रसीद जारी न करें।
- ❖ वरियता और माल डिब्बा पंजीकरण पंजिका में धन रसीद की संख्या का अभिलेखन करने में विलम्ब न करें।
- ❖ माल डिब्बा स्थानान्तरण पंजिका में समय अंकित करना न भूलें।
- ❖ दोषपूर्ण सील पाये गये डब्बों के केस में रेलवे सुरक्षाबल को बुलाना न भूलें।
- ❖ माल डिब्बों के उतराई की समाप्ति पर मुक्त करने का समय लिखना न भूलें।
- ❖ सरकारी धन और निजी धन को एक साथ मिलाकर न रखें।
- ❖ सदैव ड्यूटी के प्रति पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा बरते।
- ❖ जन–समान्य को त्वरित और विनम्र सेवा प्रदान करें।

5. Non-adjustment of over loading properly.

On source information, that overloaded wagons are not being properly adjusted at first weighment point fully, a preventive check was conducted and the same rake was reweighed at second electronic in motion weighbridge and for irregularities following punitive charges realised.

a) 54.4 Tone of coal charged @ 3 times of the freight rate.
b) 200 Tone of coal charged @ 5 times of the freight rate.
c) A sum of Rs. 16,75,173- (Sixteen lakh seventy-five thousand one hundred and seventy-three only) was raised and realised as undercharge.

6. Over loading in Coal Rake.

On the basis of source information, a preventive check was conducted at DDU EIMWB to detect overloading in coal rake. During check a rake of 58 BOXNHL containing coal loaded ex- MFSJ (Mahanadi coal fields limited of SER) to PMRG (Rajiv Gandhi Thermal Power station, Hisar). After re-weighment it was detected that net weight at EIMWB-DDU = 4059.9 T whereas the same at MFSJ = 3695.74 T. Thus 91.59 T was detected as overloading. As a result of said check an amount of Rs. 1060941/- was raised as undercharge.

Goods Traffic

" DO"

1. Declare private cash in the Private Cash Declaration Register before commencement of duty.
2. Always keep the restriction register up-to-date.
3. Exhibit the 'restriction' and 'quota for acceptance' on the notice board.
4. Entertain a proper and correct filled forwarding note.
5. Ensure the correct classification of the goods.
6. Ensure correct calculation of distance.
7. Ensure correct recording of unloading completion.
8. Ensure correct calculation and realization of under charge if any.
9. Ensure correct calculation and realization of Demurrage charge and Wharfage charge if any.
10. Examine the seal before commencement of unloading.

Don'ts

1. Do not forget to declare private cash on the Private Cash Register.
2. Do not make alteration against the declared private cash.
3. Don't issue RR without collecting the due fare.
4. Do not delay in recording MR no. in **priority** and **wagon registration register.**
5. Do not fail to record time in wagon transfer register.
6. Do not fail to call RPF staff in case of defectively sealed wagon.
7. Do not fail to record release timing on completion of unloading.
8. Do not keep Govt. cash along with private cash.
9. Maintain absolute integrity and devotion to duty all- times.
10. Render prompt and courteous service to the public.

केस अध्ययन

लेखा एवं कार्मिक

1. अवकाश अभिलेख में गलत प्रविष्टि।

✍ श्री डी. के. सिन्हा, मुसतानि/कार्मिक

अवकाश के रख–रखाव के संबंध में एक निवारक जाँच रेलवे के एक मंडल में किया गया । जाँच के दौरान यह पता चला कि एक कर्मचारी एक्स अवधि के लिए अनुपस्थित था तथा उसका वेतन भी उस अवधि के लिए काटा गया परंतु संबंधित लिपिक द्वारा वाई अवधि का अवकाश डेबिट किया गया जो एक्स अवधि से कम था । स्पष्टीकरण के दौरान उसने अपनी गलती को स्वीकार किया है ।

अनुसंधान के आधार पर कर्तव्यहीनता को देखते हुए उक्त कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

2. रेलवे से अग्रिम लेने के उपरांत कम्प्यूटर खरीद में अनियमितता।

✍ श्री डी. के. सिन्हा, मुसतानि/कार्मिक

ब्याज वहन के अग्रिम के मामले में दस्तावेजों का सत्यापन करने हेतु इस रेलवे के एक मंडल में निवारक जाँच किया गया । दस कर्मचारियों के पक्ष में 30,000/– रूपया कम्प्यूटर अग्रिम हेतु कार्यालय आदेश जारी किया गया था जिसमें यह वर्णित था कि संबंधित कर्मचारी एक महीना के अंदर कम्प्यूटर खरीदेगें अन्यथा दोषी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी । इसके बावजूद एक कर्मचारी नौ महीने के बाद कम्प्यूटर खरीदा तथा दूसरा कर्मचारी पाँच महीने बाद कम्प्यूटर खरीदा । उक्त कर्मचारियों ने नियम का पालन नहीं किये ।

इस संबंध में दोषी कर्मचारियों के वेतन से पैनल ब्याज की कटौती तथा प्रशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की जा रही है ।

3. रात्रिकालीन भत्ते का अधिक भुगतान।

✍ श्री पी. के. चौबे, मुसतानि/लेखा

केंद्रीय सरकार के मानदंडों के अनुसार रात्रि कालीन ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी है जो किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा रात्रि के 10 बजे से अगली सुबह 6 बजे के बीच संपादित की जाती है । इसके लिए कर्मचारी द्वारा संपादित प्रत्येक रात्रि कार्य घंटे के लिए एक समान रूप से 10 मिनट का भारिक महत्व दिया जाता है । कर्मचारियों को रात्रि कालीन भत्ते का भुगतान कर्मचारियों द्वारा उनके मजदूरी अवधि के दरम्यान संपादित कुल रात्रि घंटों के ऑकड़ों की निविष्टि के आधार पर किया जाता है ।

स्रोत सूचना के आधार पर “एक्स वाई जेड” मंडल के अंतर्गत “एबीसी” कार्यालय में रात्रि कालीन भत्ते के भुगतान में अनियमितता के पहलू पर एक निवारक जाँच की गई । जाँच के उपरांत यह पाया गया कि वेतन विपत्र तैयार करने वाले कर्मचारी द्वारा किसी खास कर्मचारी द्वारा संपादित कुल रात्रि कालीन घंटे के ऑकड़ों को IPAS System में दो बार डाला गया था जिसकी परिणति कर्मचारी को रात्रि कालीन भत्ते के अधिक भुगतान के रूप में हुई । उपरोक्त के परिदृश्य में, जाँचोपरांत, वेतन विपत्र तैयार करने से संबंधित कर्मचारी को काम में लापरवाही बरतने के लिए जिम्मेवार पाया गया ।

उक्त मामले में संबंधित कर्मचारी, जो कर्मचारियों के रात्रिकालीन कार्य घंटों की IPAS System में सही निविष्टि करने के लिए अपेक्षित थे, के विरूद्ध “रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968” के तहत उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी गई है ।

CASE-STUDY
(Accounts & Personnel)

1. False entry of leave in Leave Record

✍ Sri D. K. Sinha, CVI/P

A preventive check was conducted in one of the Division of this Railway regarding maintenance of leave. During check it was revealed that one staff was absent for X period and salary was also deducted for the absent period but dealing official had debited leave for Y period which was less than X period. During clarification he has accepted his mistake.

Based on investigation report disciplinary action proceeding against dealing official has been recommended for misconduct commited on his part.

2. Irregularity in purchase of computer after taking advance from the Railway

✍ Sri D. K. Sinha, CVI/P

A preventive check was conducted in one of the divisions of this Railway regarding verification of documents in case of interest-bearing advance. Office order for payment of computer advance amounting to Rs.30,000/- was issued in favour of ten staff stating therein that employee concerned should purchase the computer within one month from the date of drawal of advance failing which disciplinary proceedings can be launched against such delinquent Railway Servant. However, one employee purchased the computer after nine months and other employee purchased the computer after five months. The said staff have not followed the Rules.

It is being advised to division to deduct penal interest from the salary of delinquent employee as well as to take administrative action against the responsible staff.

3. Excess payment of Night Duty Allowance

✍ Sri P.K. Chaubey, CVI/A

As per the Central government norms, night duty is a duty which is being performed by a Govt. servant between 10 PM and 6 AM. A uniform weightage of 10 minutes is given for every hour of night duty performed by the employees. The payment of Night Duty Allowance is arranged to any employee on the basis of input Data of total night duty hours of any employee during the wages period.

A preventive check, based on source information, was conducted in the office of ABC under XYZ division on the aspect of irregularities in payment of Night Duty Allowance.

After investigation it was found that the Data of total Night Duty hours of a particular employee was loaded in IPAS system twice by the concerned bill preparing clerk which resulted the excess payment of Night Duty allowance to employee.

In view of the above the concerned bill clerk was found responsible for negligence in working.

In this regard it has been advised to initiate suitable Disciplinary action under Railway Servant Discipline and Appeal Rules 1968 against the concerned employee who was supposed for correct input of total Night Duty hours of employees in IPAS System.

4. बैंक द्वारा पेंशन पर महँगाई राहत के भुगतान में अनियमितता।

श्री पी. के. चौबे, मुसतानि/लेखा

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 45/73–P&PW (G) दिनांक 02.07.1996, जिसे रेलवे बोर्ड के पत्रांक FE/III/99/PN1/21 दिनांक 05.08.1999 के द्वारा सभी रेलों पर परिचालित किया गया था, के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे पेंशनभोगी रेल अधिकारी जिन्होंने अपने सेवानिवृत्ति के समय ग्रुप "A" पदों को सुशोभित किया हो, भारत या विदेश में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी वैधानिक निगम/कंपनी/निकाय/बैंक के अधीन अपने पुनर्नियोजित की अवधि के दौरान अपने पेंशन पर महँगाई राहत की राशि पाने के हकदार नहीं होंगे, फिर भी सतर्कता जाँच के दौरान कुछ ऐसे उदाहरण प्रकाश में आए हैं जिसमें ऐसे पुनर्नियोजित पेंशनभोगी रेलवे अधिकारी को उनके पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान किया गया था जिन्होंने सेवानिवृत्ति के समय ग्रुप "A" के पदों को सुशोभित किया था ।

स्रोत सूचना के आधार पर बैंक "एक्स" में सेवानिवृत्ति के समय ग्रुप "A" पदों को सुशोभित करने वाले रेलवे अधिकारियों के पेंशन पर महँगाई राहत के भुगतान में अनियमितता के पहलू पर एक निवारण निवारक जाँच किया गया ।

जाँच के उपरांत यह पाया गया कि श्री "वाई" भूतपूर्व एडीआरएम/"एक्स वाई जेड", जो रेल सेवा से तकनीकी रूप से त्यागपत्र देने के उपरांत IRCON में पुनर्नियोजित हो गए थे, ने IRCON में अपने पुनर्नियोजन के तथ्य को छिपाकर अपने पेंशन की राशि पर महँगाई राहत की राशि का आहरण किया था । ऐसा करने के लिए श्री "वाई" ने बैंक "ए" में प्रस्तुत अपने जीवन प्रमाण–पत्र में कभी भी IRCON में अपने पुनर्नियोजन के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया था जिसके चलते श्री "वाई" को उनके पेंशन पर महँगाई राहत के रूप में कुल 2376 849/– रूपए की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसे कालांतर में वसूल कर लिया गया ।

उपरोक्त मामले में पेंशन भुगतान करने वाले बैंक "एक्स" को श्री "वाई" को पुनर्नियोजन के संबंध में कोई सूचना नहीं थी क्योंकि महँगाई राहत की गैर स्वीकार्यता के संबंध में श्री "वाई" के PPO पर न तो कोई प्रविष्टि की गई थी न ही श्री "वाई" द्वारा बैंक "एक्स" को IRCON में अपने पुनर्नियोजन से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध कराई गई थी ।

क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में रेल सेवा से सेवानिवृत्त ऐसे ग्रुप "ए" रेल अधिकारी के पक्ष में उनके पेंशन पर महँगाई राहत की अनुचित भुगतान के मामलों का पता लगाना संभव नहीं है जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् भारत या विदेश में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी वैधानिक निगम/कंपनी/निकाय/बैंक में पुनर्नियोजित हो गए हों तथा गलत सूचना के आधार पर अपने पेंशन पर महंगाई राहत की राशि प्राप्त कर रहे हो । अतः भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से एक सुव्यवस्थित जाँच प्रणाली की आवश्यकता है । तदनुसार एक सुव्यवस्थित जाँच की प्रणाली को अधिष्ठापित करने हेतु आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं ।

4. Irregularities in Payment of Dearness Relief on Pension by Bank

Sri P.K. Chaubey, CVI/A

In terms of DOP&PW's O.M. No.45/73/97-P&PW (G) dt. 02.07.1999, circulated to Railways vide Railway Board's letter no. FE (III/99/PN1/21 dt. 05.08.1999, it has been ruled that re-employed pensioners, who held Group 'A' posts at the time of their retirement, are not entitled for any dearness relief on their pension during the period of their re-employment under the Central or State government or in a statutory corporation /company/Body/Bank/ in India or abroad. However, some instances have come in notice during the Vigilance investigation/Check in which payment of dearness relief where bring arranged to such re-employed pensioners who held Group 'A' post at the time of their retirement.

A preventive check, based on source information, was conducted in a bank "A" on the aspect of irregularities in payment of pension to such retired Railway official who held Group 'A' posts at the time of their retirement.

After investigation it was found that Shri "X" ex ADRM/XYZ was absorbed in IRCON after rendering his technical resignation however he was getting the dearness relief on his pension after suppressing the fact of his engagement in IRCON as Shri "X" had never mentioned anything regarding his engagement in IRCON in relevant column of life certificate submitted by him in Bank"A". Accordingly, Shri "X" was paid an excess amount of Rs.2376849.00 against dearness relief on his pension which was recovered from him in due course.

in the above case the pension disbursing authority/ Bank was not having any information of re-employment of Shri "X" as neither any endorsement towards non admissibility of DR was made on PPO of Shri "X" nor Shri "X" had ever furnished the details of his re-employment to bank "A".

Since in present scenario it is not possible to detect the case of payment of undue dearness relief on Pension to those retired Railway pensioners who held Group 'A' post at the time of their retirement and were re-engaged under the Central or State government or in a statutory Corporation/Company/Body/Bank in India or abroad after their retirement and getting the dearness relief on their pension by the virtue of false declaration, immediate induction of any well-kept method of checking is required to avoid such irregularities. Accordingly, necessary efforts are being taken for induction of any well-kept method of checking to avoid such irregularities in future.

5. **पुनर्नियोजित कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान में अनियमितता।**

✍ श्री नीरज कुमार, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/कार्मिक

प्राप्त सूचना के आधार पर पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में सतर्कता संगठन द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनर्नियोजन(Re-engage) के मामले में एक निवारक जाँच किया गया।

जाँच के दौरान, यह प्रकाश में आया कि वाणिज्य विभाग के मुख्य टिकट निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री "X" को पुनर्नियोजन के उपरान्त इनके द्वारा पदस्थापना स्थल पर बिना कार्यभार ग्रहण किये लगातार आठ माह का पारिश्रमिक (कुल 242536 रूपये) का भुगतान किया गया था।

जाँच के दौरान उक्त मामलें में संलिप्त कर्मचारी श्री "Y" ने यह स्वीकार किया कि श्री "X" का ज्वानिंग रिपोर्ट/मास्टर रोल की जाँच किये बिना ही नवम्बर 2018 से जून 2019 तक का पारिश्रमिक भुगतान किया गया था।

सतर्कता जाँच के दौरान उक्त मामलें के प्रकाश में आते ही संबंधित विभाग में हड़कंप मच गया एवं रेल प्रशासन तत्काल हलचल में आया एवं पुनर्नियोजित कर्मचारी श्री "X" के पक्ष में नवम्बर 2018 से जून 2019 तक का किये गये पारिश्रमिक भुगतान कि कुल राशि 242536/– रूपये की वसूली कि गई साथ ही साथ इस मामलें में संलिप्त कर्मचारी श्री "Y" के विरूद्ध दीर्घ दण्ड अधिरोपित किया गया।

6. **स्कूटर अग्रिम में अनियमितता।**

✍ श्री राजेश कुमार, मुसतानि/कार्मिक

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में स्कूटर अग्रिम स्वीकृति संबंधित दस्तावेजों का निवारक जाँच के दौरान पाई गई अनियमितता ।

निवारक जाँच के क्रम में पाया गया कि 23 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 30,000/–(तीस हजार रूपया) स्कूटर अग्रिम हेतु कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया जिसमें वर्णित था कि संबंधित कर्मचारी एक महीना के अंदर वाहन क्रय कर लेगें अन्यथा एक मुश्त राशि उनके वेतन से कटौती कर ली जाएगी। इस जाँच के दौरान पाया गया कि सिर्फ एक कर्मचारी के द्वारा ही स्कूटर खरीदा गया और शेष 22 कर्मचारियों ने स्कूटर की खरीद नहीं किया और न ही उनके वेतन से एक मुश्त राशि की कटौती किया गया।

उपरोक्त के अलावा यह पाया गया कि मूलधन की कटौती, स्वीकृति माह के अगले माह से प्रारंभ होना चाहिए था परन्तु कटौती शुरू नहीं किया गया। मूलधन की कटौती के बाद ब्याज की गणना कर इसकी कटौती किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं किया गया । जिन कर्मचारियों ने स्कूटर नहीं खरीदा है उनसे पैनल रेंट की वसूली किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इसी प्रकार स्वर्गवास/सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण होने वाले कर्मचारियों का बकाया शेष रहने के बावजूद लेखा विभाग द्वारा नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया, जो नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना चाहिए था।

उक्त मामले सतर्कता संज्ञान में आने के उपरांत मूलधन की कटौती, निर्धारित ब्याज दर की सही गणना एवं पैनल रेंट सहित सभी कटौती करवाया गया । स्वर्गवास/सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण होने वाले कर्मचारियों से भी सभी बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करवाया गया । इस प्रकार कुल 95788/रूपये की वसूली करवाया गया।

उपरोक्त अनियमितता के लिये दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है।

7. **नाईट ड्यूटी भत्ता में अनियमितता ।**

✍ श्री राजेश कुमार, मुसतानि/कार्मिक

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल इकाई में रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ता के भुगतान से संबंधित दस्तावेजों का निवारक जाँच के दौरान पाई गई अनियमितताएं निम्नलिखित हैः–

निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि रात्रि ड्यूटी पर जिन कर्मचारियों को लगाया गया उसके लिए सुपरवाईजर के द्वारा रात्रिकालीन ड्यूटी अनिवार्य है, का प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया, जो अनिवार्य है ।

कर्मचारी को मुख्यालय से बाहर एक कलेंडर माह के लिये रात्रिकालीन ड्यूटी पर लगाया गया इसके लिए उन्हें रात्रिकालीन ड्यूटी भत्ता, यात्रा भत्ता एवं परिवहन भत्ता का भी भुगतान किया गया जबकि एक पूरे कलेंडर माह में यदि मुख्यालय से बाहर कार्य करता है तो परिवहन भत्ता का भुगतान नहीं किया जाता है, परंतु इसका भुगतान किया गया ।

इसी प्रकार एक कर्मचारी ने रात्रिकालीन ड्यूटी 175 घंटा किया था और उसे 200 घंटे का रात्रिकालीन भत्ता का भुगतान किया गया ।

कार्मिक विभाग को बिल तैयार करने के लिये युनिट से प्रत्येक माह के 6 तारीख से अगले माह की 5 तारीख तक उपस्थिति पंजिका में पी करके भेजा जाता है एवं वेतन के अंतर का चेंज कार्ड भेजा जाता है जिसके आधार पर बिल तैयार किया जाता है । इसी प्रकार यात्रा भत्ता का दावा भी एक कलेंडर माह का अर्थात् 30/31 दिनों का नहीं रहता है जिससे बिल तैयार करने वाला/बिल पास करने वाला लिपिक जाँच कर सके कि कर्मचारी ने पूरे माह मुख्यालय से बाहर ड्यूटी पर कार्यरत रहा है, ताकि परिवहन भत्ता की कटौती किया जा सके । यह भी पाया गया है कि युनिट में कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करता है । इसके लिए वेतन बनाने हेतु संबंधित युनिट से उपस्थिति पंजिका अनिवार्य सलंग्न किया जाना चाहिए ।

उपरोक्त मामले सतर्कता संज्ञान में आने के बाद परिवहन भत्ता एवं 25 घंटा का रात्रिकालीन भत्ता की कटौती कर लिया गया ।

उपरोक्त अनियमितता के लिये दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है ।

केस अध्ययन

अभियंत्रण

1. निर्माण संगठन में निष्पादित कार्यों की रिकॉर्ड की गयी मापों की जाँच:

✍ जनार्दन प्रसाद, मुसतानि / अभियंत्रण

लेखा विभाग को बिल भेजने से पहले निर्माण संगठन की निर्माण इकाइयों के प्रभारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए माप की जाँच–परख के लिए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण के कार्यालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो 01.01.2020 से प्रभावी है। उपरोक्त दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन का कठोरता से पालन किया जा रहा है या नहीं यह जाँचने के लिए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण के कार्यालय में मार्च, 2020 को निवारक जाँच की गई थी। इस दौरान निर्माण संगठन के अधीन चार निर्माण इकाइयों के कुछ बिलों की जाँच की गई। जाँच करने पर यह पाया गया कि निर्माण इकाई के प्रभारी द्वारा, जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार या तो बिलों की जाँच ठीक से नहीं की गयी थी या बिल का परीक्षण ही नहीं किया गया था, लेकिन लेखा विभाग द्वारा विपत्र / बिल पास कर दिया गया था।

अतः संगठन के बेहतर एवं कुशल कार्य हेतु जारी दिशा निर्देशों का जारी किया जाना आवश्यक है लेकिन यह और भी महत्वपूर्ण है कि संगठन / विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन संगठन द्वारा सुनिश्चित किया जाए, जिससे विभाग को उसका लाभ प्राप्त हो सके।

2. लाइसेंस शुल्क की समय पर वसूली :

✍ जनार्दन प्रसाद, मुसतानि / अभियंत्रण

रेलवे स्टेशनों के नजदीक स्थित रेलवे भूमि पर दुकानों का आवंटन वाणिज्य गतिविधियों हेतु कई वर्ष पूर्व किया गया था जो कि रेलवे की कमाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आवंटी से लाइसेंस शुल्क की वसूली की जाँच करने के लिए मंडल के एक स्टेशन पर निवारक जाँच की गई थी। जाँच के दौरान यह पाया गया कि 24 आवंटियों में से केवल 20 आवंटियों ने ही मार्च, 2020 तक अपने लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है। अन्य 4 आवंटियों में से 2 आवंटियों ने वर्ष 2016–17 तक और 2 आवंटियों ने वर्ष 2017–18 तक अपना लाइसेंस शुल्क पुरानी दर से जमा किया था। रेलवे प्रशासन द्वारा आवंटी से नई दर पर लाइसेंस शुल्क सहित बकाया राशि की मांग करने पर आवंटियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जानी है।

एक अन्य जाँच में यह ज्ञात हुआ है कि रेलवे बोर्ड के नवीनतम परिपत्र के आलोक में संशोधित लाइसेंस शुल्क / किराया नहीं लिया जा रहा है और लाइसेंस शुल्क की वसूली निर्धारित अंतराल पर नहीं किये जाने से रेलवे को वित्तीय राजस्व का नुकसान हुआ है। इसी मामले में यह भी पता चला कि रेलवे बोर्ड के नवीनतम परिपत्र के अनुसार अनुबंध का नवीकरण नहीं किया जा रहा था।

अतः यह आवश्यक है कि रेलवे भूमि के आवंटिओं से प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से पहले आग्रिम लाइसेंस शुल्क की वसूली हो जिससे रेलवे को समय पर राजस्व प्राप्त हो सके। इसके अलावा रेलवे को राजस्व के नुकसान से बचाने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी संशोधन और लाइसेंसिंग अनुबंध हेतु जारी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

Case Study

Engineering

1. Test checking of recorded measurement of Executed works in construction organization:

✍ Janardan Prasad, CVI/Engg/HJP

Guidelines for test-checking of recorded measurement by unit In-charge of construction project prior to sending the bills to Accounts department, was issued by the office of Chief Administrative Officer/Con and it became effective from 01/01/2020. Preventive check was conducted in the month of March 2020 in the office of CAO/Con to check whether implementation of above guidelines is being followed rigorously or not. For this purpose, some bills from four construction units of construction organisation was scrutinised. On scrutiny, it was detected that either the bills were not test-checked properly as mentioned in the guide lines issued or the bill was not test-checked at all by the In-charge of the construction unit but passed by the Accounts department.

Therefore, it is important to frame guidelines for better and efficient working of the organisation but it is more important to ensure its proper and timely implementation at all levels in the organization so that the benefit of guidelines issued from time to time is reaped by the organization/department.

2. Timely realisation of license-fee:

✍ Janardan Prasad, CVI/Engg/HJP

Allotment of shops on railway land located near the railway stations was done long back to individuals to carry out commercial activities on it, which is an important source of railway earnings. A preventive check was conducted at a station in one of the divisions, to check the realisation of license fee from the allottee. During check, it was found that out of twenty-four allottee(s), only 20 allottee(s) have paid their license fee up to March 2020. Out of the balance four allottee(s), two had deposited their license fee up to 2016-17 and two had deposited their license fee up to 2017-18 only, at old rates. On demand of license fee at new rate including arrear by the railway administration, the allottee(s) have filed petition in the high court and the matter is yet to be looked into, by the Hon'ble court.

In another investigation, it was revealed that regular revision of license fee/rent was not being done in accordance with latest Rly. Bd's circular and also realization of license fee was done periodically leading to financial loss to railway's revenue earning. In the same case, it was also detected that renewal of agreement for license fee/rent was not executed as per latest Rly. Bd's circular.

Therefore, it is important to realise the license-fee from railway land allottee(s) in advance prior to 1st April of every year, so that railway's earning is realised in time. Further, Rly. Bd's circular issued for revision and licensing agreements from time to time should be strictly adhered to, to avoid loss of railway revenue earnings.

3. रखरखाव प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता :

✍ विद्यानंद प्रसाद, मुख्य सतर्कता निरीक्षक / हाजीपुर

एक मामले की जाँच के दौरान यह देखा गया है कि कार्य संविदा की विस्तारित समयसीमा के अन्तर्गत पूरा हुआ था। रख –रखाव अवधि के दौरान, न तो किसी अधिकारी द्वारा कोई दोष / कमी दर्ज की गई थी और न ही किसी तरह के सुधार के लिए एजेंसी को सूचित किया गया था। क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसके आधार पर पीजी का भुगतान संवेदक को किया गया था। सहायक अभियंता द्वारा फाइनल विपत्र मंडल कार्यालय को प्रस्तुत किया गया था लेकिन रख रखाव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।

जीसीसी के खंड 50(1) के अनुसार, पूरी तरह संतुष्ट होने पर ही अभियंता द्वारा किसी कार्य के रखरखाव अवधि के समापन हो जाने के पश्चात् अथवा इस अवधि में, उपखंड (2) के खंड 48 के शर्तों के अधीन निर्देशित सुधार कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत रखरखाव प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

बाद में, रखरखाव की अवधि के 6 माह पूरा होने के पश्चात्, कुछ दोष / कमी जो ठीक से निर्धारित नहीं थे, उसे सुधार करने के लिए एजेंसी को सूचित किया गया था और इसी आधार पर अंतिम बिल का निपटारा नहीं किया गया था। संविदा को लंबित रखने और भुगतान को रोक देने से ठेकेदार को परेशान किया जा सकता है। साथ ही, कार्य के दोषों / कमियों को सूचित न किये जाने से इनका सुधार नहीं होता है जिससे रेलवे को नुकसान होता है।

अतः निष्पादन या रखरखाव अवधि के दौरान यदि कार्य में किसी तरह का दोष / कमी पाया जाता है तो इसे लिखित रूप में संवेदक को सूचित किया जाना चाहिए और उसका सुधार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा रखरखाव प्रमाण पत्र को समय पर जारी किया जाना चाहिए जिससे रेलवे के दावों को सुरक्षित किया जा सके तथा अनावश्यक वादों से बचा जा सके।

4. तहबजारी के लिए खाली पड़े रेलवे जमीन के लाइसेंस की मंजूरी में अनियमितता :

✍ विद्यानंद प्रसाद, मुख्य सतर्कता निरीक्षक / हाजीपुर

एक शिकायत मामले की जाँच के दौरान यह पाया गया है कि आई.आर.डब्लू.एम. के पैरा –821 (एल) के प्रावधानों को सुनिश्चित किए बिना मंडल द्वारा कुछ स्थानों पर खाली पड़ी रेलवे जमीन के लाइसेंस के लिए तहबजारी की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

आई.आर.डब्लू.एम. के पैरा –821(एल) के प्रावधानों के अनुसार, 'नई एवं अतिरिक्त जमीन पर लाइसेंसिंग द्वारा दुकानदारी / तहबजारी को प्रतिबंधित किया गया है। हालॉकि, दुकानदारी / तहबजारी के पुराने मामले में, जहॉं समय–समय पर लाइसेंस नवीकृत किए जाते हैं ऐसे लाइसेंस को नए मामलें की तरह नहीं माना जाना चाहिए, चाहे ऐसे लाइसेंस को ओपन टेंडर / नीलामी के आधार पर नई पार्टी को नई लाइसेंस के रूप में दिया जाना हो। तहबजारी / लाइसेंस के लिए किसी नये प्लॉट को नहीं जोड़ा जा सकता है। हालांकि, भूमि के लाइसेंस के विशिष्ट मामलों में, रेलवे कार्य से जुड़े उद्वेश्य के लिए नहीं बल्कि कर्मचारी के कल्याण से संबंधित ऐसे क्षेत्र में दुकान, जहॉं पर्याप्त खरीदारी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी की सहमति एवं महाप्रबंधक के अनुमोदन पर स्वीकार्य किए जा सकते हैं।

अतः रेलवे के किसी भी स्थान पर रिक्त जमीन के नये लाइसेंस या पुराने मामलों में दुकान का नवीकरण, तहबजारी सिर्फ आई.आर.डब्लू.एम. के पैरा –821(एल) के प्रावधानों एवं नवीनतम निर्देशों के आधार पर किया जाना चाहिए।

3. Irregularity in issuing of maintenance Certificate:

Vidyanand Prasad, CVI/Engg/HJP

During investigation of a case, it is observed that the work was completed within DOC. During maintenance period, neither any defect was found/recorded by any officials nor anything was communicated to the agency for rectification. No claim certificate was also signed by field officials, on the basis of which PG was released. Final bill was also submitted by concerned AEN to the Division. But maintenance certificate was not issued.

As per clause 50(1) of GCC, the maintenance certificate shall be given by the Engineer upon the expiration of the period of maintenance or as soon thereafter as any works ordered during such period pursuant to Sub Clause (2) to Clause 48 of these conditions shall have been completed to the satisfaction of the Engineer.

Later, after six months of completion of maintenance period, some defects which were not even properly quantified, were communicated to the agency for rectification and on the basis of which final bill was not finalized. Non-finalisation of Contract and withholding payment leads to harassment to the Contractors. Also, non-communication of defects leads to loss of Railway.

Thus, any defects observed during execution or maintenance period should be communicated in writing and their rectification should be ensured. Further, maintenance certificate should be issued timely so as to ensure that Railway's claims are safeguarded and to avoid unnecessary litigations.

4. Irregularity in sanction of licensing of vacant Railway land for TehBazari:

During investigation of a complaint case, it is found that licensing of vacant Railway land at some locations was sanctioned for TehBazari by a division, without ensuring provisions of para-821 (l) of IRWM.

As per para-821 (l) of IRWM, it is mentioned that "licensing of fresh and additional land for shoping/TehBazari has been banned. However, in old cases of Shoping/TehBazari, where licenses are renewed periodically, such licenses should not be treated as new cases of licensing but renewals even where fresh licenses have to be given to new parties on open tender/auction basis. No new plots may however, be added for TehBazari/licensing. However, specific cases for licensing of land, for purposes not connected with Railway working but concerning welfare of staff, such as providing shops in areas where adequate shopping facilities do not exist, may be acceptable on merits, with the concurrence of the FA&CAO and personal approval of the General Manager".

Thus, fresh licensing of vacant Railway land at any locations or renewal of old cases of shoping, TehBazari should only be done following the para-821 (l) of IRWM and latest instructions in vogue.

5. उपयोग से पूर्व किसी प्रतिष्ठित प्रयोगशाला द्वारा सामग्री (ए.पी.पी.) का स्वतंत्र परीक्षण :

सतीश कुमार, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/हाजीपुर

एक मामले की जाँच के दौरान यह देखा गया है कि MTC के आधार पर सहायक मंडल अभियंता द्वारा शुरूआत में सामग्री को स्वीकृत किया गया था। हालॉकि, सामग्री (ए.पी.पी.) का परीक्षण करने पर, उपयोग की गई ए.पी.पी., ASTM D-5147 के निर्धारित विनिर्देशों को पूरा करने में पूरी तरह से/आंशिक रूप से विफल रहा है। पुनः यह भी उल्लेख करना उचित है कि ए.पी.पी. का तीसरे पक्ष द्वारा/स्वतंत्र परीक्षण, सहायक मंडल अभियंता द्वारा नहीं कराया गया था।

USSOR के विनिर्देश में उल्लेखित मापदंड की जाँच के बिना सहायक मंडल अभियंता द्वारा किए गए निरीक्षण एवं निर्माता परीक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर सामग्री स्वीकृत की गई थी। सहायक मंडल अभियंता द्वारा कोई भी परीक्षण नहीं किया गया था क्योंकि वह निर्माता परीक्षण प्रमाण पत्र के विनिर्देश मापदंडों से पूरी तरह संतुष्ट थे। लेकिन निर्माता परीक्षण पत्र में ए.पी.पी. की परतों की संख्या का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया जो कि इस मामले में सामग्री स्वीकृति के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड है।

कार्य एवं सामग्री के लिए USSOR के विनिर्देश, ECR के अध्याय 10 के पैरा 10.14.2.2 के अन्तर्गत ए.पी.पी. की मोटाई 5 परतों के लिए 2 mm (अधिकतम) और 7 परतों के लिए 3 mm होनी चाहिए। साथ ही साथ विनिर्देश यह भी उल्लेख करता है कि निर्माता तीसरे पक्ष से परीक्षण कराने तथा अपने गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा निरीक्षण कराने में सक्षम होना चाहिए, जो इस मामले में सुनिश्चित नहीं किया गया था।

अतः यह आवश्यक है कि क्षेत्र के अधिकारी विनिर्देशों के अनुसार सामग्री की स्वीकृति एवं उपयोग को सुनिश्चित करें और जब भी आवश्यकता हो, सामग्री का स्वतंत्र परीक्षण किसी प्रतिष्ठित प्रयोगशाला द्वारा कराने पर जोर दिया जाए।

5. Independent testing of material (APP) by a reputed lab before utilization:

Satish Kumar, CVI/Engg/HJP

During investigation of a case, it is observed that, initially the material (APP) was passed by ADEN primarily based on MTC. However, on testing of the material (APP), APP failed to meet the specifications in totality APP used partly failed to meet the specifications laid down in ASTM D – 5147. Further, it is also pertinent to mention that no independent 3rd party testing of APP was got done by ADEN.

Material was passed on the basis of inspection done by ADEN and on the basis of manufacturer test certificate, without checking passing criterion of APP mentioned in USSOR specification. No any test was conducted by ADEN since he was satisfied as Manufacturer's Test Certificate fulfilled specification criterion. But the Manufacturer's Test Certificate did not provide the details of number of layers of APP in this case, which is an important criterion for passing.

In the USSOR specification for works & materials as per para no. 10.14.2.2 from chapter 10 of ECR, the thickness of APP should be 2 mm (Max) for 5 layers and 3 mm for 7 layers APP. Also the specification states that manufacturer should be in a position to arrange 3rd party testing and inspection in their Quality control department, which was not done in this case.

Therefore, it is essential that the field officials must ensure passing and utilization of material as per specification and insist on independent testing of material by a reputed lab, wherever required.

6. पेड़ के रजिस्टर के रख–रखाव में अनियमितता एवं परिसंपत्तियों का आदान–प्रदान :–

संजय प्रसाद सिंह, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/हाजीपुर

एक शिकायत के जाँच के दौरान, निम्नलिखित विसंगतियाँ पायी गयी थीं:–

(क) संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि पेड़ों के प्रकार एवं पेड़ों की संख्या पेड़ रजिस्टर में उल्लेखित विवरण के अनुसार नहीं थी।

(ख) पेड़ रजिस्टर की जाँच के दौरान यह पाया गया कि आई.आर.डब्लू.एम. के पैरा–720 के अनुसार पेड़ रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था। आई.आर.डब्लू.एम. के पैरा–720 में कहा गया है कि प्रत्येक साल उस वर्ष जीवित पेड़ों का एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए तथा नीचे दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार जानकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए:–

पेड़ों की (Location)	पेड़ों के प्रकार	50 से.मी. से अधिक परिधि के पेड़ों की संख्या	15 से.मी. से 50 से.मी. तक परिधि की पेड़	पौधों को सुरक्षा की आवश्यकता	कुल	टिप्पणियाँ
I	II	III	IV	V	VI	VII

उपरोक्त जानकारी अनुभाग प्रभारी (कार्य/पथ वे) द्वारा संग्रह कर पेड़ रजिस्टर में इस उद्वेश्य के लिए दर्ज की जानी चाहिए। लगाये गए पेड़ों की संख्या, काटे गए पेड़ों की संख्या एवं खराब हुए पेड़ों की संख्या की जानकारी अन्य रजिस्टर में दर्ज करनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक एक समेकित जानकारी अनिवार्य रूप से रेलवे बोर्ड को भेजा जाना चाहिए।

(ग) निर्माण परियोजना के लिए ओपन लाईन तथा निर्माण संगठन के मध्य अनुभाग सौंपने के समय सभी पेड़ों सहित सभी परिसंपत्तियों का परस्पर आदान–प्रदान नहीं किया गया था।

अतः यह आवश्यक है कि पेड़ों के रख–रखाव का उचित रिकार्ड निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार पेड़ रजिस्टर में दर्ज किया जाए।

यह आवश्यक है कि सभी पेड़ों सहित सभी परिसंपत्तियों का परस्पर आदान–प्रदान किया जाए, जहाँ कहीं भी, किसी कार्य अथवा निर्माण के लिए किसी अनुभाग या परिसंपत्ति किसी संगठन को सौंपी जानी हो।

सतर्कता ई–संदेश/अंक–22 Satarkta e-Sandesh / October-2020

6. Irregularities in maintenance of tree registers and Handing over & Taking over of assets:

Sanjay Prasad Singh, CVI/Engg/HJP

During investigation of a complaint, following anomalies were observed:-

(i) Type of trees and number of trees found during joint survey was not same as per details mentioned in tree register.

(ii) During scrutiny of tree register, it had been found that tree register was not maintained as per as per para-720 of IRWM. The para-720 of IRWM states that every year a survey of surviving trees should be made for that year and information should be furnished in the proforma as detailed below: -

Locat ion of trees.	Typ e of trees.	No. of trees more than 50cm girth.	Trees from 15cm to 50cm girth.	Sapli ngs needing protection.	T otal	Re marks
I	II	III	IV	V	V I	VI I

The above information should be collected and entered in a tree register maintained for this purpose by Section (Works/P. Way) in-charge. The information with regard to number of trees planted, cut and perished have to be maintained in another register. A consolidated information is required to be sent to the Railway Board by 30th April, every year.

(iii) Proper handing and taking over of all assets including trees was not done between open line and construction organisation at the time of handing over of section for construction projects.

Therefore, it is essential that proper record of trees is maintained as Tree Register in accordance to extant guidelines.

It is essential that proper handing and taking over of all assets including trees is done wherever any section or asset is handed over to any organisation for any work or project.

केस अध्ययन

भंडार, चिकित्सा एवं सुरक्षा

1.भंडार की स्थानीय खरीद एवं सामग्री के निरीक्षण में अनियमितता

विकास कुमार, तत्कालीन मुसतानि / भंडार

स्रोत सूचना के आधार पर भंडार की स्थानीय खरीद और सामग्रियों के निरीक्षण में अनियमितता, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए एक इकाई में एक निवारक जाँच आयोजित किया गया। जाँच के दौरान भंडारों की स्थानीय खरीद में निम्नलिखित अनियमितता को नोट की गयीं:–

1. कुछ मामलों में निविदा खुलने के बाद अत्यधिक विलंब करते हुए यह निर्णय लिया गया कि सामग्री सीएलडब्ल्यू / आरडीएसओ अनुमोदित मेक की आपूर्ति की जाए। अतः तदनुसार खरीद के लिए नई मांगें तैयार करने का निर्देश जारी किया गया लेकिन ऐसा करते समय, वस्तुओं की महत्वपूर्णता / सुरक्षा प्रकृति पर टिप्पणी नहीं की गई जो शाखा अधिकारी के मौजूदा निर्देशानुसार अनिवार्य था। इसके अलावा, संबंधित एल–1 फर्म से प्राप्त पिछली आपूर्ति पर भी टिप्पणी नहीं की गई जबकि ऐसा करना नई मांगों को तैयार करने की आवश्यकता को न्यायोचित ठहराने हेतु आवश्यक था। जिस अधिकारी ने इस तरह का निर्णय लिया उसने अपने हस्ताक्षर के नीचे तारीख का उल्लेख नहीं किया। ऐसे कृत्य से निर्णय की पारदर्शिता परिलक्षित नहीं होती।
2. लगभग एक वर्ष के उपरांत और सिर्फ कुछ मामलों में ही नई माँगें तैयार की गईं। यह उपरोक्त एल–1 फर्म को जानबूझकर विलंबकारी रणनीति अपनाकर आदेश नहीं देना परिलक्षित करता है जो भारतीय रेलवे आचरण नियम 1968 पैरा 3 (ए)(बी) का उल्लंघन है। उपरोक्त कृत्य वस्तुओं की अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर भी संदेह पैदा करता है।
3. उपरोक्त में से अधिकांश माँगें गैर सीएलडब्ल्यू फर्मों के बीक्यू / एलपीआर के आधार पर तैयार की गई और बाद में इन फर्मों को भी संभावित स्रोतों के रूप में सुझाया गया।

गैर–स्टॉक खरीद में शामिल अधिकारी को खरीद की आर्थिक पहलू, गुणवत्ता और शीघ्रता से प्राप्त करने की दिशा में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। अतः खरीद की अनिवार्यता सक्षम अधिकारी द्वारा अवश्य प्रमाणित किया जाना चाहिए। नए मांगपत्र प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब मामलों में वस्तुओं की अनिवार्यता को प्रमाणित करने की दिशा में शामिल कर्मचारियों / अधिकारियों के ढुलमुल दृष्टिकोण को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त फर्म द्वारा आपूर्ति की गई सामग्रियों के निरीक्षण में कुछ अनियमितताएं का किया जाना नोट किया गया, जो निम्नलिखित हैः–

1. परिदान की अवधि समाप्त होने के बावजूद सामग्री प्राप्त की गई और उसका निरीक्षण भी किया गया।
2. निरीक्षण के दौरान क्रयादेश के एक महत्वपूर्ण शर्त 'थोक विनिर्माण से पहले एक अनुमोदित नमूना लेना' को नजरअंदाज कर दिया गया।
3. सामग्री का निरीक्षण प्रमाण पत्र 40 दिनों के उपरांत जारी किया गया और वह भी परिदान की अवधि समाप्त होने के बाद।
4. तदोपरांत 30 दिनों के बाद सामग्री को लेजर में लिया गया।
5. तीन माह के उपरांत पूर्व में जारी सामग्री उपयुक्तता प्रमाण पत्र पर टिप्पणी किए बिना आपूर्तिकर्ता फर्म को आपूर्ति वापस लेने का निर्देश जारी किया गया।

यह भी पाया गया कि उपरोक्त सभी गतिविधियां एक ही समयावधि के दौरान की गई, जो इकाई द्वारा उपरोक्त फर्म को जानबूझकर परेशान किए जाने की संभावना को इंगित करता है।

मामला अभी जाँच के अधीन है।

Case Study

Stores, Medical & Security

Irregularities in local purchase of stores and inspection of materials

Vikash Kumar, Ex. CVI/Stores

Based on source information, a PC was conducted in a unit to find out irregularities, if any, in local purchase of stores and inspection of materials. During check, following irregularities were noted in local purchase of stores:-

1. By making huge delay in some cases at post tender stage, it was decided to prepare new demands for procurement with CLW/RDSO approved make. But while doing so, comment on vital/safety nature of the items was not made though mandated as per existing directive of the branch officer. Even, previous supply received from the above firm was not commented upon though expected to justify the need for preparation of fresh demands. The officer who took such decision didn't mention date below his signature and thereby he didn't maintain transparency.
2. New demands were prepared after approx one year and against few cases only. It reflected that L1 firms against the aforesaid LP tenders were intentionally not considered for ordering by adopting dilatory tactics and by willfully causing delays in violation to Indian Railway Conduct Rule' 1968 para 3(A)(b).
3. Most of the new demands were prepared based on BQs/LPRs of **non CLW firms.** These firms were subsequently suggested as likely sources.

Moreover, the above acts raise doubt over the essentiality of the items certified in above cases. In non stock procurement, the officer involved should exercise utmost care with the objective of achieving economy, quality and expeditiousness in procurement. It is in the pursuit of this spirit that the essentiality of purchase to be certified by competent authority. Such huge delay in indenting, therefore, reflects lackadaisical approach on the part of officials/officers involved towards certifying essentiality of the items in these cases.

Further, some irregularities were noted in inspection of materials supplied by the same firm who was L1 in above local purchase cases. These are: -

1. Supply was received after expiry of DP and the same was considered for carrying out inspection.
2. During inspection, an important term of PO i.e. getting one advance sample approved before bulk manufacturing was ignored.
3. Material inspected and passed by the consignee after 40 days. Inspection certificate was issued after expiry of DP.
4. Material was taken in ledger thereafter 30 days
5. After 3 months, the supplier was asked to withdraw the supply without making comment on the said material suitability certificate issued to them.

All above discrepancies committed during same time period. This indicates preponderance of probability regarding willfully harassment of the above firm.

2. भंडार निविदाओं में कार्टेलाइजेशन के संबंध में

✍ शैलेन्द्र कुमार, मुसतानि / भंडार

पूर्व मध्य रेल के भंडार निविदा में मूल्य संघ गठन (कार्टेलाइजेशन) से संबंधित एक मामले में निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि 16 अनुमोदित स्रोतों को निविदा में भाग लेने हेतु आमंत्रन भेजने के बावजूद मात्र 5 फर्मों ने निविदा में भाग लिया। आगे की जाँच में यह पाया गया कि 5 में से तीन फर्म ऐसे थे जिनका आपस में संबंध था, उन तीन फर्मों में दो फर्मों के मालिक तीसरी फर्म के निदेशक थे, ऐसी स्थिति में भाग लेने वाले निविदाकारों के हितों में टकराव की स्थिति होती है। हालांकि, इन तीन फर्मों के अलावा दो अन्य फर्मों ने निविदा में भाग लिया था, जिनका आपस में किसी प्रकार का संबंध नहीं था।

आगे की जाँच में यह पाया गया कि आर.डी.एस.ओ. के वेन्डर डायरेक्टरी में अनुमोदित फर्मों के सहयोगी संस्था का नाम, यदि है तो इसका उल्लेख होता है परन्तु अन्य अनुमोदन करने वाली एजेंसियों के वेन्डर डायरेक्टरी में उल्लेख नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश के अभाव में, उपरोक्त अस्पष्टता निविदा मामलों से निपटने वाले अधिकारियों द्वारा एक अनपेक्षित त्रुटि की ओर ले जा सकती थी, परन्तु इस मामले में अन्य दो फर्मों ने भी भाग लिया था जिनका आपस में किसी से संबंध नहीं था।

उपरोक्त परिस्थिति से निपटने हेतु, स्पष्ट दिशानिर्देश हेतु प्रणाली सुधार पत्र जारी किया गया है।

3. मंडल रेल अस्पतालों में मरीजों के डाईट मदों से संबंधित अनियमितता।

✍ प्रमोद यादव, तत्कालीन मुसतानि / भंडार

पूर्व मध्य रेल के मंडल अस्पतालों में मरीजों के डाईट हेतु अनाज, दाल, दूध, मख्खन, फल एवं सब्जियों के खरीदारी के पहलू पर निवारक जाँच के दौरान पाया गया है कि मंडल के द्वारा डाईट मदों के दरों पर विचार करते समय अन्य मंडलों से एल0ए0आर0 नहीं लिया जाना पाया गया। निविदा समिति के द्वारा दर के औचित्य की प्रमाणिकता केवल बाजार से लिये गये दर के आधार पर किया गया।

मंडल 'एक्स' में प्रतिदिन प्राप्त एवं निर्गत डाईट मदों से संबंधित मदवार लेजर नहीं पायी गयी। ठेकेदार के द्वारा आपूर्ति किये गये खाद्य सामग्रियों के नमूने की जाँच निविदा के नियम एवं शर्त पैरा–5 के अनुसार रेलवे द्वारा किया जाना चाहिए लेकिन नमूने के जाँच से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ।

मंडल 'वाई' में नमूने के जाँच से संबंधित कोई नियम एवं शर्त निविदा के प्रावधान में अंकित नहीं किया हुआ था जबकि आईआरएमएम पैरा 1006 (बी) क्रम सं0 जी के आलोक में मंडल में तैनात खाद्य निरीक्षक को रोगी के आपूर्तित डाईट के नमूने की जाँच समय–समय पर कराया जाना चाहिए।

उपरोक्त अनियमितता के निवारण हेतु प्रणाली सुधार पत्र जारी किया गया है।

4. स्टोर डिपो में नये सामग्री के निर्गमन में अनियमितता:

✍ प्रमोद यादव, तत्कालीन मुसतानि / भंडार

भंडार विभाग, पूर्व मध्य रेल के स्टोर डिपो में नये सामग्री के निर्गमन के पहलू पर निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि नये सामग्रियों के निर्गमन में भंडार संहिता के पैरा 1313 से 1317 एवं 1501 एवं 1523 का सुपालन पूर्ण तरीके से नहीं किया हुआ पाया गया जिसके कारण सामग्री के भौतिक बैलेंस एवं लेजर बैलेंस में भिन्नता पाई गई।

जाँच के दौरान आगे पाया गया कि सामग्री का निर्गमन प्राप्ति रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराकर उपभोक्ता को निर्गत किया जाता है जो कि भंडार संहिता के पैरा में निहित प्रावधानों के अनुकूल नहीं है।

कस्टोडियन को उपरोक्त अनियमितता हेतु अनुशासन एवं अपील नियम के अन्तर्गत कारवाई हेतु अनुशंसा किया गया है।

5. स्क्रैप सामग्री के लेखाकरण एवं निष्पादन में अनियमितता।

✍ महादेव कुमार मंडल, मुसतानि / भंडार

पूर्व मध्य रेल के मंडलों में सिग्नल एवं दूर संचार विभाग में स्क्रैप सामग्री के लेखाकरण एवं निष्पादन के पहलू पर निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि स्क्रैप सामग्रियों का भंडार सत्यापन करीब 15 वर्षो से नहीं किया जा रहा है। आगे यह भी पाया गया है कि प्रभारी के द्वारा डीएमटीआर एवं लेजर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण खंड से प्राप्त रीलीज्ड सामग्रियों की वास्तविक मात्रा का पता नहीं लगाया जा सका।

खंड से प्राप्त रीलीज्ड बैट्री का किस नये बैट्री के निर्गमन के विरूद्व प्राप्त हुआ है, के तथ्य लेजर में उल्लेखित किया हुआ नहीं पाया गया जिसके कारण यह भी पता लगाया जाना मुश्किल था कि रीलीज्ड बैट्री का किस नये बैट्री के निर्गमन के विरुद्ध प्राप्त हुआ है।

सिग्नल एवं दूर संचार विभाग के विभिन्न युनिटों में काफी मात्रा में रीलीज्ड सामग्री निष्पादन हेतु लंबित पाया गया।

उपरोक्त अनियमितता के निवारण हेतु सुदृढ़ प्रणाली विकसित करने हेतु प्रणाली सुधार पत्र जारी किया गया है।

6. मंडल रेल अस्पतालों में मरीजों के आहार प्रभार बिल की कटौती में अनियमितता।

✍ महादेव कुमार मंडल, मुसतानि/भंडार

पूर्व मध्य रेल के मंडल अस्पतालों में मरीजों के आहार प्रभार बिल की कटौती के पहलू पर निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 98/एच/6–1/29 दिनांक 11.03.2003 के अनुसार रेलवे चिकित्सा विभाग के द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष पर आहार दरों की समीक्षा की जानी चाहिए लेकिन पूर्व मध्य रेल में वर्ष–2014 के उपरान्त आहार दरों की समीक्षा नहीं की गयी।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं0 2005/एच/23/6 दिनांक 13.06.2018 के अनुसार जिन कर्मियों का मूल वेतन/पेंशन/पारिवारिक पेंशन वेतन रु. 44900/– तक है वे सभी निःशुल्क आहार के पात्र हैं परन्तु इसका सुपालन दानापुर मंडल के अलावा किसी भी मंडल के द्वारा नहीं किया जा रहा है।

कुछ मंडलों के द्वारा आहार बिल का भुगतान कैस रिसिप्ट के माध्यम से प्राप्त कर मंडल खजांची के पास जमा कराया जाता है, जबकि कुछ मंडलों के द्वारा आहार बिल का भुगतान कैस रिसिप्ट के माध्यम से प्राप्त कर मंडल खजाँची के पास जमा कराया जाता है, जबकि कुछ मंडलों के द्वारा कर्मियों से नकद प्राप्त कर बुकिंग कार्यालय में जमा की जाती है।

बिल की वास्तविक कटौती कर्मचारी के वेतन से हुई है अथवा नहीं, को सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रणाली नहीं अपनायी गई है।

उपरोक्त अनियमितता के निवारण हेतु सुदृढ़ प्रणाली विकसित करने हेतु प्रणाली सुधार पत्र जारी किया गया है।

7. संविदा चिकित्सक द्वारा चिकित्सा प्रमाण–पत्र जारी करने में अनियमितताः

✍ प्रेम कुमार, मुसतानि/चिकित्सा

एक परिवाद की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि संविदा चिकित्सक द्वारा संविदा के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए अन्य जोनल रेलवे के कर्मचारियों के पक्ष में 50 दिनों तक का सिक एवं फिट प्रमाण–पत्र जारी करना पाया गया जबकि अनुबंध के शर्तों के अनुसार अनुबंध चिकित्सक को सिर्फ 7 दिनों तक का ही सिक–फिट देने के लिए सक्षम होते हैं । तत्पश्चात उन्हें निकटतम अस्पताल/औषधालय/स्वास्थ्य इकाइयों में उपलब्ध नियमित रेलवे चिकित्सा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर प्राप्त करने के उपरांत ही चिकित्सा प्रमाण–पत्र जारी करना होता है जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, जो अनुबंध के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन है। साथ ही यह भी देखा गया कि बीमार/अनफिट प्रमाण पत्र शुरू में तीन/सात दिनों की अवधि के लिए जारी किया गया था । इसके अलावा निरंतरता बीमार प्रमाण पत्र जारी किए बिना तीन/सात दिन की निर्धारित अवधि से अधिक फिट प्रमाण पत्र जारी होना पाया गया जो आईआरएमएम के पैरा 539 के निर्देशों का उल्लंघन है।

8. रेलवे सुरक्षा बल में तैनात कर्मचारियों के आवधिक चिकित्सा जाँच में अनियमितताः

✍ प्रेम कुमार, मुसतानि/चिकित्सा

एक निवारक जाँच के दौरान, यह देखा गया कि पूर्व मध्य रेल के किसी भी रेलवे सुरक्षा बल इकाई से तैनात बल अर्थात् किसी भी कांस्टेबल/उप – निरीक्षक /सहायक निरीक्षक एवं निरीक्षक को उनके अनुसूचित आवधिक चिकित्सा जाँच हेतु चिकित्सा विभाग को नहीं भेजा जा रहा था जबकि भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली 2000 के पैरा 514 (बी) नोट–1 के निर्देशानुसार–रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से सेवा के समापन तक हरेक तीन साल की अवधि की समाप्ति पर शारीरिक फिटनेस के लिए फिर से जाँच की जाएगी। हलाँकि, रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षकों, उप–निरीक्षकों और सहायक निरीक्षकों को शारीरिक फिटनेस और Visual acuity test के लिए 45 वर्ष की आयु और उसके बाद पाँच साल की हर अवधि की समाप्ति पर पुनः जाँच किये जाने का प्रावधान है। ऐसा नहीं किया जाना आईआरएमएम के पैरा 514 (बी) नोट–1 में निहित निर्देशों का उल्लंघन है।

9. भंडार सत्यापन में अनियमितताः

✍ इमरान आज़ाद, मुसतानि/सुरक्षा

एक निवारक जाँच के दौरान इंजीनियरिंग विभाग के एक इकाई में P.Way materials का भंडार सत्यापन 21 वर्षों से नहीं किया हुआ पाया गया (अंतिम स्टॉक वेरीफिकेशन **दिसम्बर 1996** में होना पाया गया) जो स्टॉक वेरीफिकेशन मैनुअल के पैरा 3202 का उल्लंघन है। साथ ही अगस्त 2015 के पश्चात् इकाई प्रभारी के चार्ज का हस्तानांतरण भी होना नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त युनिट प्रभारी के द्वारा Quarterly Return दिसम्बर 2015 के पश्चात् तथा Sectional PWI के द्वारा Monthly Return क्रमशः जुलाई 2015 तथा मार्च 2015 के पश्चात् भेजा जाना नहीं पाया गया, जो स्टोर रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए इंजीनियरिंग कोड के विभिन्न पैरा में निर्धारित नियमों का उल्लंघन है।

संबंधित मंडल रेल प्रबंधक को उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

केस अध्ययन
संकेत एवं दूरसंचार, विद्युत तथा यांत्रिक

1. जीसीसी के अनुसार नकारात्मक पक्ष पर मूल्य भिन्नता खंड के कार्यान्वयन में अनिमियतता।

✍ राजीव कुमार, मुसतानि(विद्युत)

कार्य निविदा के संबंध में शिकायत मामले की जाँच के दौरान, निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई हैं:–

एक कार्य निविदा मामले की जाँच के दौरान यह देखा गया कि जीसीसी के अनुसार मूल्य भिन्नता लागू नहीं की जा रही है। जिसके कारण ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान किया गया है। इस तथ्य के बारे में जागरूकता के बावजूद जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद वस्तुओं की सामान्य कीमत कम हो गई है, जीसीसी के अनुसार राशि की कटौती उन निविदाओं के लिए रेलवे इकाई द्वारा नहीं की गई है, जिनका भुगतान जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद किया गया है। यह पीवीसी के संबंध में अनुबंध की सामान्य स्थिति का निरीक्षण करने में एक व्यवस्थित विफलता है।

इस संबंध में, प्रणाली सुधार पत्र जारी किया गया है।

2. ओबीएचएस के निष्पादन में अनियमितता।

✍ अवनीश कुमार, मुसतानि(यांत्रिक)

पूर्व मध्य रेल आधारित प्राथमिक अनुरक्षण ट्रेनों में निवारक जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:–

(i) ट्रेन में जाँच के दौरान यह पाया गया कि जेनिटर ईएचके के रूप में पैनल प्रावधानों से बचाव के लिए कार्य कर रहे थे। अनुबंध की शर्तों के अनुसार ईएचके की अनुपस्थिति में ठेकेदार को पूरी ट्रेन के लिए किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।
(ii) वर्क स्टेशन के अनुरूप जेनिटर की कम तैनाती।
(iii) ओबीएचएस कर्मचारी का बिना किसी यात्रा प्राधिकार के ट्रेन में पाया जाना।
(iv) ओबीएचएस कर्मचारी का गलत पहचान पत्र के साथ ट्रेन में पाया जाना।
(v) एक मामले में सभी जेनिटर एवं ईएचके बिना किसी वर्दी के पाए गए। अधिकांश ट्रेनों में ओबीएचएस कर्मचारी बिना किसी वर्दी, गमबूट, हैंडग्लब्स, नामपट्टिका, टोपी आदि के साथ पाए गए। जो अनुबंध के शर्तों के विपरीत है।
(vi) ओबीएचएस कर्मचारी निजी राशि की घोषणा नहीं करते हैं। कभी–कभी निजी राशि घोषणा पत्र खाली पाया जाता है और डिपो सुपरवाइजर द्वारा उस पर हस्ताक्षर भी नहीं किया जाता है।
(vii) घोषित निजी राशि की तुलना में ज्यादा राशि का पाया जाना।
(viii) ट्रिपकार्ड को डिपो सुपरवाइजर द्वारा न ही भरा जाना और न ही हस्ताक्षर किया जाना।
(ix) सफाई में उपयोगी केमिकल एवं सामग्रियों का कम मात्रा में उपलब्ध कराया जाना।
(x) अनुमोदित ब्रांड का उपयोगी केमिकल का उपलब्ध न होना।
(xi) ट्रिपकार्ड में उपलब्ध की गई सामग्री की कमी का उल्लेख न होना।
(xii) खोया–पाया रजिस्टर नहीं पाया जाना।
(xiii) ई–फीडबैक प्रणाली के लिए उपकरण उपलब्ध न होना।
(xiv) ई–फीडबैक प्रणाली उपकरण का कार्य न करना।
(xv) यात्रा के दौरान जीपीएस आधारित ई–उपस्थिति नहीं लिया जाना।
(xvi) छोटी–मोटी मरम्मत के लिए टूल किट का नहीं पाया जाना।
(xvii) फर्म द्वारा ओबीएचएस कर्मचारियों को बर्थ उपलब्ध नहीं कराया जाना।
(xviii) शौचालय, वॉश बेसिन तथा यात्री अधिगृहीत स्थान का सफाई न होना।

Case Studies
S&T, Electrical & Mechanical

1. Irregularities in implementation of price variation clause on negative side as per GCC.

✍ Rajiv Kumar, CVI (Elect)

During investigation of complaint case regarding works tender, the following irregularity have been observed.

During investigation of a work tender case it is observed that price variation clause as per GCC is not being implemented. It has resulted into excess payment to the contractors. Despite awareness of the fact that general price of commodities has reduced after implementation of GST, deduction of amount as per GCC has not been done by railway unit for those tenders whose payment has been done after implementation of GST. It is a systematic failure in observing general condition of contract regarding PVC.

In this regard, SIL has been issued.

2. Irregularities in execution of OBHS (On-Board Housekeeping Services)

✍ Avanish Kumar, CVI(Mech.)

In the different Preventive vigilance check conducted in the ECR based primary maintenance trains, following irregularities were observed: -

(i) During checks in a train, it is found that janitor was working as a EHK (Executive house Keeper) to avoid panel provisions. Because as per CA, no payment to contractor in the absence of EHK, for complete train.
(ii) Less deployment of janitors than required as.per no of work station
(iii) OBHS staffs were found in train without travelling authority.
(iv) OBHS staffs were found in train with wrong ID.
(v) In a case, all janitors and EHK were found in train without uniform. In most of the trains OBHS staffs were found without specified uniform, GumBoot, Hand Gloves, Name batch, Cap as specified in CA.
(vi) OBHS staffs not declared their private cash and sometimes private cash declaration form found blank and also not signed by Depot supervisor.
(vii) Excess cash found in comparison to declared private cash.
(viii)Trip card not filled and not signed by Depot supervisor.
(ix) Less deployment of resource chemicals and materials.
(x) Resource chemicals of approved brand not available.
(xi) Shortfall in deployed material not specified in trip card.
(xii) Lost & found register not found.
(xiii) Instrument for E-feedback system not available.
(xiv)Instrument for E- feedback system not working.
(xv) GPS based E attendance not taken in route.
(xvi) Tool kit for minor repair not available.
(xvii) Accommodations to OBHS staff not provided by firm.
(xviii) Toilets, Wash Basins, passenger's occupation area not clean.

4. वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट में शामिल स्टॉक आइटम की दर तर्क में अनियमितता।

✍ रण विजय कुमार, मुसतानि (सि.एवं दू.)

एक निवारक सतर्कता जाँच के दौरान, सिग्नलिंग केबल की खरीद में अनियमितता पाई गई है। जिसकी विसंगतियॉ इस प्रकार है:–

- यह केबल एक स्टॉक आइटम है। इसकी औसत दर लगभग 5.46 रुपये है जिसकी गणना भारतीय रेलवे के स्टोर डिपार्टमेंट के विभिन्न क्रयादेश से ली गई दरों के आधार पर की गई है।
- एस्टिमेटर ने इस मद को वर्क्स कान्ट्रेक्ट के नगद पोर्सन में लिया था और रुपये 8.84 प्रति मीटर की औसत दर के आधार पर एस्टिमेट तैयार किया था। औसत दर वर्ष 2015–16 के तीन अलग–अलग एस्टीमेटो से लिए गए दर को प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ा कर बनाया गया था। इसलिए, एस्टिमेटर द्वारा दो वर्षो के लिए कुल 6% की वृद्धि लेते हुए एस्टिमेट तैयार किया था।
- निवेदक द्वारा इस मद की पेशकश पर 11.00/– रुपये था जो रुपये 8.84 प्रति मीटर की अनुमानित दर की तुलना में 24.43% अधिक है और स्टोर की औसत पर 5.46 रुपये की तुलना में 101.47% की अधिक है।
- 11.00/– रुपये की पेशकश की दर को टीसी सदस्यों द्वारा "पीवीसी क्लॉज के अनुसार मूल्य वृद्धि गणना चाट" जो आरबीआई सूचकांक के आधार पर तैयार की गई थी, के आधार पर उचित सिद्ध किया गया था। उपरोक्त रेट समीक्षा भारतीय रेल के विभिन्न भंडार विभाग में उपलब्ध पीओ के दर के बिना किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे राजस्व का नुकसान हुआ है।
- अतः इस संदर्भ में एक प्रणाली सुधार पत्र (एसआईएल) जारी किया गया है।

5. एमबी में कार्य का विवरण दर्ज करने में अनियमितता।

✍ राम अनुज वर्मा, मुसतानि (सि.एवं दू.)

एक निवारक सतर्कता जाँच के दौरान, एमबी में कार्य का विवरण दर्ज करने में निम्नलिखित अनियमितता पाई गई :–

- साइट इंजीनियर द्वारा मेजरमेंट बुक में निविदा के विरुद्ध कार्य के निष्पादन का विशिष्ट स्थान दर्ज नहीं किया गया था।
- टेस्ट चेक अधिकारी ने भी मेजरमेंट बुक में टेस्ट चेक के विशिष्ट स्थान का उल्लेख नहीं किया था।
- साइट इंजीनियर द्वारा अनुबंध के निष्पादन के दौरान कोई साइट रजिस्टर नहीं रखा गया था।
- जिम्मेवार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।

3. Irregularities in rate reasonableness of stock item included in Works Contract.

✍ Ran Vijay Kumar, CVI(S&T)

During a Preventive Vigilance Check, irregularity has been observed in procurement of a signaling cable. The anomalies are as follows: -

- This cable is a stock item. Its average rate is approx. **Rs.5.46**, calculated on the basis of rates taken from different POs of store department of IR.
- Estimator has taken this item in cash in works contract and prepared estimate on the basis of an average rate of **Rs.8.84/m** calculated taking rate from three different estimates of the year 2015-16 and escalated all of them **@3%** per year. So, total **6%** escalation has been taken by estimator for two years.
- The offered rate of this item was **Rs.11.00** by tenderer which is **24.43%** above than the estimated rate of **Rs.8.84/m** and **101.47%** higher than the store average rate of **Rs.5.46.**
- Offered rate of **Rs.11.00** was justified by TC members on the basis of "*Price Escalation calculation chart as per PVC Clause*", prepared on the basis of RBI index without taking rate of different POs of store available over IR which resulted in loss of Railway Revenue.
- A System Improvement Letter (**SIL**) is being issued.

4. Irregularities in recording details in the MB

✍ Ram Anuj Verma, CVI(S&T)

During a Preventive Vigilance Check, irregularity has been observed in recording details in the Measurement Book. The anomalies are as follows: -

- Specific location of execution of work at site against a tender was not recorded in Measurement Book by site engineer.
- Test check officer has also not mentioned the specific location of test check in MB.
- No site register was maintained during execution of contract by Site engineer.
- Administrative action taken against responsible officials.

सतर्क भारत समृद्ध भारत

शैलेश कुमार, गोपनीय सहायक / सतर्कता

सतर्कता के दम पर, भ्रष्टाचार मिटाना है ।
है संकल्प हमारा, समृद्ध भारत बनाना है ।।

130 करोड़ की आबादी वाला भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जहाँ विभिन्न धर्म व भाषा–भाषी के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ अनेकता में एकता है। आज हम एक भयंकर महामारी **कोरोना** के मकड़ जाल में चारों ओर से फंसे हैं। जहाँ एक ओर इसने बेरोजगारी तो बढ़ाई ही है साथ ही अर्थव्यवस्था को भी काफी पीछे ढ़केल दिया है। वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भर व समृद्ध भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु एक रास्ता भी दिखाया है। बाहरी आयात एवं विदेश आवागमन प्रतिबंधित होने से देशी उत्पाद को काफी बढ़ावा मिला है जो हमारी समृद्धि का परिचायक है। देश से प्रतिभाओं का पलायन रूका है जिससे स्वदेशी अनुसंधान / टेक्नलॉजी को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिली है। **कोरोना** ने हमें दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। आज कोई भी सामान खरीदने से पहले हम उलट–पलट कर देखते हैं कि यह ''मेड इन इंडिया'' है या नहीं। यही जागरूकता भारत को बहुत आगे ले जाएगा और आने वाला कल हमारा होगा। हमें उत्पादन एवं गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि कर स्वदेशी सामानों को इतना सस्ता और अच्छा करना होगा कि उपभोक्ता विदेशी सामानों को छोड़कर स्वदेशी सामान खरीदें।

भारत कितना सतर्क है इसका उदाहरण हमलोग देख चुके हैं। जब **कोरोना** युवावस्था में था तभी प्रधान मंत्री के एक आह्वान पर जनता कर्फ्यू सफल रहा। एक आह्वान पर थाली–घंटी बजी व दीपों की दिपावली मनाई गई। यह इस बात का परिचायक है कि हम हिन्दुस्तानी कितने सतर्क और एकजुट हैं। इसी सतर्कता के कारण हमने **कोरोना** जैसी महामारी को वृद्धावस्था में पहुँचा दिया है **परन्तु इससे हमें अभी और सतर्क रहने की आवश्यकता है।**

भारत तभी खुशहाल और समृद्ध हो सकता है जब प्रत्येक भारतवासी प्रत्येक काम को अपना समझकर करें। राष्ट्र की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुँचाए। सतर्कता की ही देन है कि आज हमें प्राकृतिक आपदा जैसे तुफान, भूकंप, वर्षा, बाढ़ आदि आने से पहले एलर्ट कर दिया जाता है और हमारी जान–माल की रक्षा हो पाती है। परन्तु इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है।

अतः आज हम प्रण लें कि प्रत्येक काम राष्ट्र हित में करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी का पालन करेंगे, सतर्क रहकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करेंगे तभी भारत के पुनः विश्व गुरु बनने के सपने को साकार कर सकेंगे।

****

सतर्क–समृद्ध बनने की राह

महादेव कुमार मंडल, मुसतानि / सतर्कता

है देश संकल्पित करके चाह,
सतर्क–समृद्ध बनने की राह।

सतर्कता हटी दुर्घटना घटी है मंत्र,
जिसे अपनाकर समृद्ध है रेल तंत्र।

सतर्कता से जब होते हैं काम,
सफल सुखद मिलते परिणाम।

समृद्ध बनने का यही आधार,
देव करेंगे सब सपने साकार।

और साथ में जो रहे सतर्कता,
समृद्ध बनने में है आवश्यकता।

स्वतः होने लगते सब कार्यसिद्ध,
और बन जाते हर क्षेत्र समृद्ध।

रहता नही कभी कोई डर,
जो स्वयं में हो आत्मनिर्भर।

आत्मनिर्भरता में शक्ति खास,
सभी क्षेत्रों में हो तेज विकास।

भरा पूरा है इतिहास गवाह,
भ्रष्टाचारी होता स्वतः तबाह।

जन–जन ने अब है यह ठाना,
भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना।

हो अगर समृद्ध भारत की चाह,
चलना होगा सत्यनिष्ठ की राह।

सतर्कता की बह चली बयार,
समृद्ध बनने को देश तैयार।

****